पशुधन विभाग

उत्तर प्रदेश

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

(परफॉरमेंस बजट)

आय-व्ययक

वर्ष 2017-18

अनुदान संख्या-15

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

उत्तर प्रदेश, पशुपालन विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक एवं आय-व्ययक सर्वप्रथम सदन में वर्ष 1974-75 में प्रस्तुत किया गया था। उक्त वर्ष से अनवरत् रूप से इसे प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे विभागीय कार्यकलापों, पूर्व वर्षों में संचालित विभागीय कार्यक्रमों की उपलब्धियों, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों एवं आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराया जा सके। प्रस्तुत विभागीय कार्यपूर्ति दिग्दर्शक एवं आय-व्ययक में विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तीय लक्ष्य एवं सापेक्ष भौतिक लक्ष्यों को यथा-सम्भव प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है।

आशा है यह कार्यपूर्ति दिग्दर्शक एवं आय-व्ययक वर्ष 2017-18, स्वीकृत बजट के उपयोग पर उचित नियन्त्रण रखने में सहायक सिद्ध होगा तथा इससे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में सहायता मिलेगी।

लखनऊ

दिनांक: जून, 2017

(डॉ सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग,
उ०प्र० शासन ।

विषय - सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1
2	विभाग के अंतर्गत संस्थायें	7
3	ई - गवर्नेंस के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम	9
4	वित्तीय आवश्यकतायें	
4क	कार्यक्रम का वर्गीकरण	10
4ख	विभागीय आय-व्ययक वर्गीकरण	11
4ग	मुख्य लेखाशीर्षकवार आय-व्ययक (एक दृष्टि में)	12
5	वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण	
5(1)	निदेशन तथा प्रशासन	13
5(2)	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	13
5(3)	रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन	18
5(4)	उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्	21
5(5)	पशु तथा भैंस विकास	21
5(6)	कुक्कुट विकास	26
5(7)	भेंड तथा ऊन विकास	33
5(8)	सूकर विकास एवं बकरी विकास	34
5(9)	अन्य पशुधन विकास	36
5(10)	चारा तथा चारागाह विकास	39
5(11)	प्रसार तथा प्रशिक्षण	43
5(12)	प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी	44
5(13)	अन्य व्यय	46
5(13)(अ)	गौशाला विकास	46
5(13)(ब)	चर्म शोधन एवं पशु शव के उपयोग	48
6	विभागीय कार्यक्रमों के अंतर्गत विभागीय प्राप्तियां	50
7	विगत तीन वर्षो में स्वीकृत पदों कि सूची	52

भूमिका

पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष **1944** में की गयी थी। पशुधन के सर्वांगीण विकास पशु चिकित्सा, रोग नियंत्रण, प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से आरम्भ किया गया। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमो को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ कर कृषि के साथ पशुपालन वृहत्तर योगदान कर रहा है। पशुधन विकास के चार प्रमुख आयाम, उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबन्धन एवं पशु पोषण के क्षेत्र में समग्र प्रयास, पशुधन के चहुंमुखी विकास का प्रमुख आधार है। देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

<u>पशुपालन विभाग की सरंचना</u>

प्रदेश में प्रथम वार 2 निदेशक के पदों का सृजन किया गया है एवं दोनों निदेशक यथा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) तथा निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) अपने-अपने पदों पर पदासीन है। दोनों निदेशकों को विभिन्न योजनाओं की संरचना, स्वीकृति एवं कार्य क्रियान्वयन में सहयोग हेतु चार अपर निदेशक (ग्रेड-1), एक - वित्त नियत्रंक एवं एक - संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के पद सृजित हैं।

(1) मुख्य उद्देश्यः-

1. प्रदेश में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश को स्वावलम्बी बनाना।
2. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना।
3. विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एव सघन प्रयास करना।
4. प्रदेश के लिए निर्धारित पशु प्रजनन नीति के अनुसार उन्नत प्रजनन एवं कार्यक्रम का संचालन करना।
5. विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक स्वावलम्बन सुनिश्चित करना ।
6. पशुधन हेतु पर्याप्त चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
7. चयनित पैरावेटों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।
8. गौशालाओं का विकास करना, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।
9. पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का समावेश ।
10. पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
11. उद्यमिता विकास से सम्बंधित योजनाओं को संचालित करना।

(2) पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यक्रम

1. पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
2. गाय एवं भैंस विकास
3. कुक्कट विकास
4. भेड़-बकरी विकास
5. सूकर विकास
6. अन्य पशुधन विकास
7. चारा और चरागाह विकास
8. गौशाला एवं गो सदनों का विकास
9. गो सेवा आयोग का सुदृढ़ीकरण
10. पशुपालन प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम
11. प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यकीय
12. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाए
13. उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का कार्यान्वयन
14. उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के अंतर्गत पशुपालन कार्यक्रम
15. वेटनरी काउन्सिल का कार्यान्वयन
16. 20वी पशुगणना कार्यक्रम
17. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनायें

उपलब्धियाँ

- प्रदेश में वर्ष **2016-17** में 275.53 (अनन्तिम) लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष **2016-17** में 2283.20 (अनन्तिम) मिलियन अण्डे एवं 12.70 (अनन्तिम) लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया गया।
- प्रदेश मांस उत्पादन एवं निर्यात में भी प्रथम स्थान पर है।
- प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में प्रतिवर्ष 6 माह के अन्तराल पर दो चरणों में शत-प्रतिशत पशुओं को खुरपका-मुँहपका रोग का टीका लगाकर रोग मुक्त क्षेत्र की स्थापना के लिये प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु विभाग द्वारा अभियान के रूप में किये गए व्यापक टीकाकरण से पशु खुरपका-मुँहपका रोग से ग्रसित नहीं हुए।
- प्रदेश में गोवंशीय एवं महिषवंशीय दुधारू पशुओं में बढ़ती हुई बाँझपन की समस्या के निराकरण हेतु विशेष योजना लागू कर 03.17 लाख पशुओं की वर्ष 2016-17 में बाँझपन चिकित्सा से आच्छादित कर पशुओं को प्रजनन के योग्य बनाकर दुग्ध उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी प्राप्त की गयी है।
- पशु एवं कुक्कुट आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अत्याधुनिक परिवेश की न्यूट्रीशन प्रयोगशाला, लखनऊ मुख्यालय पर स्थापित कर क्रियाशील है ।
- ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत स्तर पर पैरावेट्स का चयन करते हुए पशु प्रजनन क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया।

- कामधेनु योजना (100 दुधारू गाय / भैंस), मिनी कामधेनु (50 दुधारू गाय / भैंस) एवं माइक्रो कामधेनु (25 दुधारू गाय/ भैंस) योजनान्तर्गत मार्च, 2017 तक लक्ष्य क्रमशः 300, 1500 एवं 2500 इकाईयों की स्थापना के सापेक्ष 293, 1469 एवं 1896 इकाईयाँ स्थापित हुई हैं। इस योजना से प्रदेश में 8.4 लाख लीटर अतिरिक्त दुग्ध का उत्पादन प्रतिदिन है। इसके अंतर्गत 14067 व्यक्तियों को रोजगार का सृजन हुआ है तथा इसके साथ-साथ रु० 1646.00 करोड़ का निवेश हुआ है।
- कुक्कुट विकास नीति **2013** के अंतर्गत माह मार्च, 2017 तक 3000 पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर फार्म की 155 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष 161 इकाईयां तथा 10000 पक्षी क्षमता की 315 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष 80 इकाईयां क्रियाशील है, जिनसे प्रदेश में 50.67 लाख अण्डों का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। इस कार्यक्रम को लागु किये जाने से प्रदेश में 16800 व्यक्तियो को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। योजनान्तार्गत प्रदेश में रू0 431.63 करोड़ का निवेश हुआ है।
- प्रदेश अंतर्गत बैकयार्ड कुक्कुट योजना में 15000 इकाईयों की स्थापना से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया।
- जन समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसका टोल फ्री नं0. **1800 180 5141** एवं लैंडलाइन नं० **0522- 2741991** है।

(3) पशुधन का स्तरः

पशुगणना वर्ष 2007 (18वी पशुगणना) तथा 2012 (19वीं पशुगणना) के अनुसार प्रदेश में पशुधन संख्या (कुत्तों सहित) क्रमशः 693.69 लाख तथा 746.71 लाख रही, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शित हैः-

(संख्या लाख में) **(तालिका - 1)**

पशु प्रजाति का विवरण	पशुओं की संख्या वर्ष 2007	पशुओं की संख्या वर्ष 2012	वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत
कुल पशुधन	693.69	746.71	7.64
कुल गोवंशीय	190.97	205.66	7.69
1 दूध दे रही	45.47	58.83	29.38
2 सूखी	14.04	23.72	68.95
कुल महिषवंशीय	264.40	306.25	15.83
1 दूध में	91.86	105.38	14.72
2 सूखी	25.75	34.12	32.50
कुल बकरी	148.29	155.86	5.10

कुल भेड़	14.00	13.54	(-) 3.29
कुल सूकर	19.87	13.34	(-) 32.86
अन्य पशुधन	2.13	2.60	22.64
कुत्ते	54.03	49.46	(-) 8.46
कुक्कुट	178.80	186.68	4.41

19वीं पशुगणना 2012 में कुल गोवंशीय पशुओं की संख्या में 10.09 लाख् छुट्टा गोवंशीय सम्मिलित हैं।

(4) उत्पादकता एवं उत्पादनः

अ- उत्पादकताः-

वर्ष 2015-16 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में विभिन्न पशुजन्य पदार्थों का उत्पादन तथा प्रति पशु औसत उत्पादकता निम्नवत हैः-

(तालिका -2)

क्रमांक	पशुजन्य पदार्थ का नाम	पशु प्रजाति का नाम	इकाई	वर्षवार औसत उत्पादन प्रति पशु प्रतिदिन (भारित औसत)	
				2014-15	**2015-16**
1	दुग्ध उत्पादन	क- स्वदेसी गाय	किलोग्राम	**2.597**	**2.938**
		ख- विदेशी गाय	किलोग्राम	**7.103**	**7.045**
		गाय औसत सम्पूर्ण	किलोग्राम	**3.178**	**3.785**
		ग- भैंस	किलोग्राम	**4.467**	**4.332**
		घ- बकरी	किलोग्राम	**0.762**	**0.763**
		क1-स्वदेसी गाय	किलोग्राम	**0.00**	**3.373**
		क2-अवर्णित गाय	किलोग्राम	**0.00**	**2.151**
		ख1-विदेशी गाय	किलोग्राम	**0.00**	**7.852**
		ख2-क्रास ब्रीड गाय	किलोग्राम	**0.00**	**6.955**
		ग1-स्वदेसी भैंस	किलोग्राम	**0.00**	**4.661**
		ग2-अवर्णित भैंस	किलोग्राम	**0.00**	**3.193**
2	अण्डा उत्पादन	क-अवर्णित	संख्या	**167.611**	**136.4**
		ख-उन्नतिशील	संख्या	**211.394**	**211.3**
		ग-औसत सम्पूर्ण	संख्या	**190.271**	**192.8**
3	ऊन उत्पादन	भेड़	किलोग्राम	**0.902**	**0.889**

ब-उत्पादन स्तरः- प्रदेश में पशुजन्य उत्पादों का उत्पादन स्तर निम्नलिखित हैः-

(तालिका - 3)

कं0 सं0	पशुजन्य उत्पादों का नाम	इकाई का नाम	2006-07 का स्तर	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त की उपलब्धि	बारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 15-16 का पूर्ति	वर्ष 16-17 का लक्ष्य	वर्ष 2016-17 की पूर्ति
1	**दूध**	लाख मी0टन	**180.946**	**225.568**	**362.455**	**263.87**	**362.455**	**275.53**
2	**अण्डा**	मिलियन	**948.318**	**1607.613**	**1876.579**	**2192.85**	**1876.579**	**2288.95**
3	**ऊन**	लाख कि.ग्रा.	**14.608**	**14.202**	**26.233**	**12.65**	**26.233**	**12.86**

(5) विभागीय आय-व्ययक स्तरः- (अनुदान संख्या-15 के अधीन)

विभागीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजनाओं के अन्तर्गत धन की व्यवस्था की गयी है। विभाग के अन्तर्गत निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैः-

1. निदेशन तथा प्रशासन
2. पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य
3. पशु तथा भैंस विकास
4. कुक्कुट विकास
5. भेड़ तथा ऊन विकास
6. अन्य पशुधन विकास
7. चारा तथा चारागाह विकास
8. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यकीय
9. पशु चिकित्सा शिविर एवं प्रचार-प्रसार

वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत निम्न धनराशि का आय-व्ययक प्राविधान लेखा-अनुदान अवधि के लिए हुआ है जिसका विवरण निम्नवत हैः-

(तालिका - 4)

क्रं0सं0	मद का नाम	(रू0 लाख में)
1	अधिष्ठान	74859.08
2	आकस्मिक	49367.87
	योग मतदेय	124226.95
	भारित	13.79

पशुपालन का वर्तमान स्तरः-

उत्तर प्रदेश विशाल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है जो राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 16.16 प्रतिशत है। प्रदेश में अनुमानत 70 प्रतिशत लोग आज भी गाँव में निवास करते हैं एवं कृषि आधारित कार्य उनकी जीविकोपार्जन का साधन है। गाँवों में निवास कर रही जनसँख्या का 65 प्रतिशत छोटे, 7.8 प्रतिशत दो एकड़ से कम जोत वाले तथा 27.2 प्रतिशत दो से पांच एकड़ की जोत वाले कृषक है। अधिक जनसँख्या एवं कम जोत भूमि के कारण प्रदेश के बहुसंख्यक किसानों को कृषि के साथ-साथ अन्य सम्बंधित कार्य अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु करना पड़ता है। ऐसे ग्रामीण परिवारों के जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन सर्वोत्तम विकल्प है, क्योंकि छोटी जोतों पर भी यह किसानों को नियमित एवं सुनिश्चित आय सुलभ कराता है। वस्तुतः इन्हीं लघु कृषकों / भूमिहीन कृषि श्रमिकों द्वारा प्रदेश में उपलब्ध पशुधन का लगभग 90 प्रतिशत पशुओं का पालन-पोषण किया जाता है।

प्रदेश, दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 330 ग्राम प्रतिदिन है। उपरोक्त तालिका- 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रति गाय अथवा प्रति भैंस औसत दैनिक उत्पादन क्रमशः 3.785 तथा 4.332 किलोग्राम है। इस प्रकार प्रदेश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन वृद्धि की असीम सम्भावनायें हैं।

प्रदेश, सकल अण्डा उत्पादन में देश में आठवें स्थान पर है। प्रदेश में उत्पादित कुल अण्डे का 35 प्रतिशत अण्डा निजी क्षेत्रों से तथा 65 प्रतिशत बैकयार्ड पोल्ट्री से प्राप्त होता है। प्रदेश में पक्षियों से प्रति पक्षी औसत वार्षिक अण्डा उत्पादन की संख्या 192.8 है। अण्डा/मांस के उत्पादन-खपतें के अन्तर को पूरा करने के लिए लगभग 100 लाख अण्डा और 0.30 लाख ब्रायलर पक्षियो का प्रतिदिन निकटस्थ प्रदेशों से आयात करना होता है। इस प्रकार कुक्कुट पालन व्यवसाय के निजी क्षेत्रों में विकास की पूर्ण संभावनायें है।

प्रक्रियात्मक रणनीति

समस्त विभागीय कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायें जाने हेतु बल दिया गया हैः -

- पशुपालन के क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानव संसाधन विकास हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
- संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए सघन टीकाकरण का संचालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
- पशुओं में अनुवर्रता निवारण शिविरो का आयोजन करना।
- उन्नत पशु प्रजनन आच्छादन को 32.5 प्रतिशत (52 लाख) के स्तर से 40 प्रतिशत (64 लाख) तक वर्ष 2017-18 में बढ़ाना।
- कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों एवं कामर्शियल लेयर इकाईयों की स्थापना।

- कुक्कुट उद्यमिता का विकास करना।
- सूकर एवं भेड़ बकरी पालन को बढ़ावा देकर गरीब ग्रामीणों का आर्थिक उत्थान करना।
- पशुओं को उचित पोषण सुनिश्चित करने हेतु चारा एवं चारागाह विकास कार्यक्रम संचालित करना।
- स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

वर्ष 2017-18 हेतु प्राथमिकतायें -

- दुधारू पशुओ की तस्करी रोकना
- अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बन्द किया जायेगा
- गरीब परिवारों के पशुओं का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए पशु स्वास्थ्य बीमा योजना
- फसलों की क्षति को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर पशु संरक्षण की योजना
- प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों को गोधन योजना अन्तर्गत गाय व अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराने की योजना
- कृषि से सम्बद्ध किसानों एवं कृषि श्रमिकों की आय में वृद्धि कराना।
- विभिन्न कार्यक्रमों, यथा पशु प्रजनन, पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जाना एवं पशुपालन सेवाओं का विस्तार करना।
- किसानों को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पशुपालन की योजनाएं तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।
- उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-13 को क्रियान्वित कर कुक्कुट पालन में उद्यमिता विकास।

<u>विभागीय संस्थाएं</u>

तालिका -6

क्र0सं0	संस्था का नाम	वर्ष 2016-17 की वास्तविक स्थिति
1	पशु चिकित्सालय	2202
2	पशु सेवा केंद्र	2575
3	डी श्रेणी पशु औषधालय	267
4	सचल पशु चिकित्सालय	25
5	पोलीक्लीनिक	06
6	केन्द्रीय प्रयोगशाला	01
7	मण्डलीय प्रयोगशाला	10
8	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	5043
9	तरल नत्रजन केन्द्र	02

10	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	03
11	सघन भेंड विकास परियोजना	01
12	मेढ़ा केंद्र	05
13	भेंड तथा ऊन प्रसार केंद्र	180
14	भेड़ प्रक्षेत्र	02
15	राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र	06
16	भदावरी भैस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र	01
17	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र	10
18	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र	06
19	सूकर रोग निदान प्रयोगशाला	01
20	सूकर पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
21	बतख प्रक्षेत्र	01
22	बटेर प्रक्षेत्र	01
23	कुक्कुट काम्प्लेक्स	09
24	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला	01
25	सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक लैब	10
26	कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
27	कुक्कुट प्रक्षेत्र	11
28	पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल यूनिट	02
29	पशुशव उपयोग प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब,	01
30	पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र	06
31	बोवाइन स्टर्लिटी एवं इन्फर्टिलिटी नियंत्रण प्रयोगशाला	09
32	थनैला रोग नियंत्रण प्रयोगशाला, मुख्यालय	01
33	टी०बी0, ब्रूसेल्ला एवं जोनाईन यूनिट, मुख्यालय	01
34	आहार परीक्षण प्रयोगशाला, मुख्यालय	01
35	इपिडिमियोलाजी यूनिट, मुख्यालय	01
36	कैनाईन रैबीज कन्ट्रोल यूनिट	10
37	पशु जैविक औषधि संस्थान, लखनऊ	01

ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम

पशुपालन विभाग अन्तर्गत विभाग में एक ई-गवर्नेन्स कक्ष कार्यरत है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट (**http://animalhusb.up.nic.in**) कार्यरत है। जिसमें विभागीय क्रियाकलापों, कार्यक्रमों, संस्थाओं एवं विभिन्न प्रशिक्षण आदि की महत्वपूर्ण जानकारी इन्टरनेट पर प्रेषित की गई है। वेबसाइट समय-समय पर अधुनान्त (अपडेट) की जाती है। विभागीय वेबसाइट पर नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम उपलब्ध है। विभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त टेण्डर, टेण्डर फार्म, दर सूचियां विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध करायी जाती हैं। विभाग के टेन्डर वेबसाइट से डाउनलोड कर भरे जा सकते हैं। बेवसाइड पर सभी पशुचिकित्साविदों के अधिष्ठान से सम्बन्धित विवरण एवं वरिष्ठता सूची उपलब्ध है। न्यायालयों के वादों के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये वादों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिससे वादों का अनुश्रवण प्रभावी हो गया है। 19वीं पशुगणना के आंकड़े भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये है। साथ ही वित्तीय स्वीकृतियां, बजट एवं आवंटन तथा अन्य विभागीय शासनादेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं।

वर्तमान में निदेशालय के प्रत्येक अनुभाग में कम्प्यूटर कार्यरत है। प्रदेश के 18 मण्डलीय कार्यालयों एवं जनपद मुख्यालयों पर भी कम्प्यूटर स्थापित एवं कार्यशील हैं। विभागीय सूचनाओं के त्वरित प्रेषण हेतु विभाग द्वारा अधिक से अधिक ई-मेल एवं बेवसाइट का प्रयोग किया जा रहा है।

विभाग अन्तर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं अन्य सभी प्रकार के देयकों का त्वरित एवं सुगमतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ई-पेमेन्ट प्रणाली लागू की गई है। बजट आवंटन प्रकिया को भी पूर्ण रुप से कम्पयूटरीकृत किया गया है तथा बजट आवंटन का कार्य आनलाइन किया जा रहा है।

प्रदेश के पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु मुख्यालय पर एक पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना की गई है, जो पशुपालकों के हित में प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक सप्ताह के सातों दिन कार्यरत है। उक्त केन्द्र पूर्णतया आन लाइन एवं आधुनिक सूचना तकनीक पर क्रियाशील है। इसके माध्यम से पशुपालकों की पशुधन संबंधी समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

विभाग अन्तर्गत जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सूचना तकनीक का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं इस हेतु उन्हें कम्प्यूटर संचालन, इन्टरनेट, ई-मेल आदि का प्रशिक्षण भी मुख्यालय पर दिया गया है।

भारत सरकार के पशुपालन एवं डेरी विभाग के सहयोग से पशु रोगों पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी के उद्देश्य से नेशनल एनीमल डिजीज रिर्पोटिंग इन्फार्मेशन सिस्टम (एन०ए०डी०आर०एस०) आनलाइन नेटवर्क प्रदेश में स्थापित किया गया है। जिससे ब्लाक स्तर के पशु चिकित्सालय पशुरोगों की निगरानी हेतु जनपदीय कार्यालयों से एवं मुख्यालय के एन०ए०डी०आर०एस० सेल से जुड़ गये हैं एवं डिजीज रिपोर्टिंग का कार्य चल रहा है, जिससे पशुरोगों की निरन्तर निगरानी एवं नियंत्रण में प्रभावी एवं गुणात्मक सुधार आयेगा।

प्रदेश में प्रथम बार विभागीय भर्तियों हेतु आन लाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न कराई गई। परीक्षा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता हेतु कम्प्यूटराइजेशन एवं ई-गर्वर्नेन्स का प्रभावशाली योगदान रहा ।

वित्तीय आवश्यकतायें

क- कार्यक्रम का वर्गीकरण **(धनराशि रु० लाख में) (तालिका - 7क)**

कार्यक्रम	आय-व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
001-निदेशन एवं प्रशासन	170.4	68662.79	68833.21	106.5	61083.67	61190.20
101-पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य	35709.57	-	35709.57	21928.29	-	21928.29
102-पशु तथा भैंस विकास	18306.87	233.00	18539.87	14962.58	215.10	15177.68
103-कुक्कुट विकास	1900.00	-	1900.00	1611.02	-	1611.02
104-भेड़ तथा ऊन विकास	25.00	-	25.00	25.00	-	25.00
105-सूकर विकास	-	-	-	-	-	-
106-अन्य पशुधन विकास	47.50	3647.09	3694.59	10.53	3593.98	3604.51
107-चारा तथा चारागाह विकास	294.60	-	294.60	157.08	-	157.08
113-प्रशासनिक अन्बेषण तथा सांख्यकीय	353.68	-	353.68	275.16	-	275.16
800-अन्य व्यय	687.29	3503.90	4191.19	669.24	3129.64	3798.88
2013- मंत्रि परिषद	-	0.10	0.10	-	0.10	0.10
योग-मतदेय	57494.93	76046.88	133541.81	39745.43	68022.49	107767.92
भारित	-	13.79	13.79	-	-	-

(धनराशि रु० लाख में) (तालिका - 7ख)

कार्यक्रम	आय-व्ययक अनुमान / बजट 2017-18
001-निदेशन एवं प्रशासन	
101-पशुचिकित्सा सेवायें तथा पशुस्वास्थ्य	
102-पशु तथा भैंस विकास	
103-कुक्कुट विकास	
104-भेड़ तथा ऊन विकास	
105- सूकर विकास	
106-अन्य पशुधन विकास	
107-चारा तथा चारागाह विकास	
113-प्रशासनिक अन्बेषण तथा सांख्यकीय	
800-अन्य व्यय	
2013- मंत्रि परिषद	
भारित	
योग मतदेय	

ख- विभागीय आय-व्ययक वर्गीकरण (धनराशि रु० लाख में) (तालिका - 8क)

कार्यक्रम	आय-व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1.वेतन	812.86	28623.13	29453.99	691.39	32610.11	33301.50
2.सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	55.29	3253.90	3309.19	40.22	2879.65	2919.87
3.महगाई भत्ता	1105.49	37723.13	38828.62	545.81	26412.63	26958.44
4.यात्रा भत्ता	357.10	72.08	429.18	169.12	81.98	251.11
5.अन्य भत्ता	81.28	1575.57	1656.85	30.19	1373.92	1404.11
6.प्रासांगिक:-						
(क)सामान्य	28763.96	4798.40	33562.36	22398.90	4664.20	27063.10
(ख)भारित	-	13.79	13.79	-	-	-
7.कैपिटल आउटले	26318.95	-	26318.95	15869.80	-	15869.80
योग	**57494.93**	**76046.21**	**133541.14**	**39745.43**	**68022.49**	**107767.92**

(धनराशि रु० लाख में) तालिका - 8ख

कार्यक्रम	आय-व्ययक अनुमान / बजट 2017-18
1.वेतन	
2सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	
3.महगाई भत्ता	
4.यात्रा भत्ता	
5.अन्य भत्ता	
6.प्रासांगिक:-	
(क)सामान्य	
(ख)भारित	
7.कैपिटल आउटले	
योग	

ग- अनुदान संख्या- 15 के अधीन मुख्य लेखाशीर्षकवार आय -व्ययक (एक दृष्टि में)

(लाख रू0 में) (तालिका 9)

अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	आय-व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
15/2013 मंत्रि परिषद	-	0.10	0.10	-	0.10	0.10
15/2403 पशुपालन	31175.98	76046.88	107222.86	23875.63	68022.39	91898.02
15/4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	26318.95	-	26318.95	15869.80	-	15869.80
भारित	-	13.79	13.79	-	-	-
कुल योग	**57494.93**	**76046.88**	**133541.81**	**39745.43**	**68022.49**	**107767.92**

अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	आय-व्ययक अनुमान / बजट 2017-18
15/2013 मंत्रि परिषद	
15/2403 पशुपालन	
15/4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
भारित	
कुल योग	

वित्तीय अवश्यकताओं का विवरण

1- निदेशन तथा प्रशासन

वित्तीय मांग **धनराशि रु० लाख में** **तालिका -10**

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
निदेशन तथा प्रशासन						
मतदेय	170.42	68662.79	68833.21	106.53	61083.67	61190.20
भारित	-	13.79	13.79	-	-	-

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान 2017-18
निदेशन तथा प्रशासन	
मतदेय	
भारित	

परिचयात्मकः-

मण्डलों में अपर निदेशक, ग्रेड-II तथा जनपदों में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी का पद सृजित है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के पशुपालन के क्रिया-कलापों के उचित प्रशासन तथा क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के कार्यकलापों का निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के समय पायी गयी विशेष बातों के सम्बन्ध में निदेशालय से सम्बन्धित अधिकारियों तथा मण्डलाधिकारियों को यथोचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।

कार्यभार का सारांश, वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य

विभागीय कार्यकलापों का संचालन मण्डल स्तर पर अपर निदेशक, ग्रेड-II तथा जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादित किया जाता है।

2- पशुचिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

वित्तीय माँग (धनराशि लाख रू0 में) **तालिका -11**

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
पशु चिकित्सा सेवा एवं पशु स्वास्थ्य	35709.57	-	35709.57	21928.29	-	21928.29

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान 2017-18
पशु चिकित्सा सेवा एवं पशु स्वास्थ्य	

1.पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

परिचयात्मकः-

कृषि के साथ-साथ पशुपालन का कार्य ग्रामीण परिवेश में एक सामान्य प्रक्रिया है परन्तु प्रति व्यक्ति कम कृषि जोत भूमि होने के कारण गाँवों में जीविकोपार्जन एवं आर्थिक उन्नति हेतु पशुपालन एक प्रमुख साधन है। विभिन्न पशुधन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रहा है। पशुओं को पूर्णतः स्वस्थ रखने एवं गुणवत्तायुक्त पशुजन्य उत्पादों की निरंतर आवश्यकता अपरिहार्य होने के कारण पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य का महत्व स्वतः बढ़ गया है।

उद्देश्यः-

1-प्रदेश के पशुओं को चिकित्सा सुविधा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना ।
2-पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्य निष्पादित करना ।
3-अनियंत्रित पशु प्रजनन को रोकने तथा कृत्रिम गर्भाधान को बढावा दिए जाने हेतु अवर्णित व अनुपयोगी नर पशुओं का बधियाकरण करना।
4-प्रदेश में स्थापित पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक के माध्यम से गुणवत्तायुक्त विशेषज्ञ पशु चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराना।
5-जनपद में स्थापित रोग निदान प्रयोंगशालाओं के माध्यम से पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोंगों की जांच, पैथालौजी की सुविधा उपलब्ध कराना ।
6-पशुओं से मानव में फैलने वाली रैबीज जैसी जानलेवा बीमारियों नियंत्रण करना।
7-प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर सर्वे का कार्य किया जाना।
8-रिण्डरपेस्ट जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं विलेज सर्च का कार्य करना।
12-रोगों के रोकथाम हेतु प्रमुख वैक्सीनों का उत्पादन जैविक औषधि उत्पादन संस्थान द्वारा किया जाना।

कार्यों का विवरण एवं निर्वहन

1- पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथामः-

(अ) पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 267 'द' श्रेणी पशु औषधालयों तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों से निरन्तर सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में लगभग 20000 पशु संख्या पर एक पशुचिकित्सालय स्थापित है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 5000 पशुओं पर एक पशुचिकित्सालय की स्थापना की जानी थी। परन्तु सीमित संसाधन एवं धनाभाव के कारण उत्तर प्रदेश में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वर्ष 2017-18 में नवीन पशुचिकित्सालयों की स्थापना, बाउन्ड्रीवाल का निर्माण, अधूरे/जर्जर/भवन विहीन पशु चिकित्सालयों के निर्माण के साथ-साथ नवीन पशु सेवा केन्द्रों के खोले जाने व पशु सेवा केन्द्रो के बाउन्ड्रीवाल, अधूरे/जर्जर/भवन विहीन के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ब) पशुचिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण (पशुचिकित्सालयों का पुनरोद्धार तथा अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था)-75 प्रतिशत सम्प्रति 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में चिन्हित जनपदों के अनुमोदित 150- तहसील स्तरीय पशुचिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त योजना के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य 81 तहसील स्तरीय पशुचिकित्सालयों में से 58 का पुनरोद्धार अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण है। अवशेष 23 तहसील स्तरीय पशुचिकित्सालयों में से 6 पशुचिकित्सालयों का पुनरोद्धार अंतर्गत निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 में किया गया है। राजस्व मद से 20 तहसील स्तरीय पशुचिकित्सालयों पर अतिरिक्त उपकरणों से व्यवस्थित किया गया है। वर्ष 2017-18 में उक्त योजना का क्रियान्वयन आर०के०वी०वाई० अंतर्गत प्रस्तावित है।

2- पालीक्लीनिक की स्थापना:-

वर्तमान में विषय विशेषज्ञों द्वारा विशेष चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पांच पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक क्रमशः गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत-बागपत तथा सैफई-इटावा में कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से रेडियोलाजिस्ट, सर्जन एवं गायनोकोलाजिस्ट द्वारा विशेष रोग निदान सेवायें (विषय विशेषज्ञों द्वारा) आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उपलव्ध कराई जा रही है। इटावा जनपद के सैफई एवं जनपद-बागपत के बड़ौत में स्थापित नवीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिकों के संचालन हेतु पदों का सृजन हो चुका है, जिसके सापेक्ष प्रश्नगत पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक भी क्रियाशील हो गये हैं। वर्ष 2007-08 में जनपद-गौतमबुद्धनगर में नवीन पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक बादलपुर की स्थापना हेतु स्वीकृत है, जिसके निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट व्यवस्था की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2014-15 में जनपद-बस्ती में नवीन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना हेतु स्वीकृत है, जिसके निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 15-मण्डलीय मुख्यालयों पर एक-एक नवीन पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना हेतु नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आर0आई0 डी0एफ0) अंतर्गत वित्त पोषित की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसमे से 8 पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी। शेष 7 पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना हेतु बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित है।

3- रोग निदान तथा बीमारियों की खोजः-

उक्त कार्य हेतु एक केन्द्रीय प्रयोगशाला निदेशालय पर तथा 10 मंडलीय प्रयोगशालायें मंडलों पर कार्यरत है, जिनके द्वारा पशुरोगों की जाँच एवं डायग्नोसिस की सेवाएं प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में मण्डलीय प्रयोगशाला वाराणसी एवं फैजाबाद, वर्ष 2005-06 में बरेली, मुरादाबाद तथा वर्ष 2006-07 में इलाहाबाद एवं आगरा तथा वर्ष 2007-08 में मेरठ में प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण किया गया है। वर्ष 2008-09 से 2009-10 में झांसी व कानपुर में प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण का कार्य किया गया है। वर्ष 2010-11 में अलीगढ़ में स्थापित स्वाईन फीवर प्रयोगशाला के सुदृढीकरण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सुदृढीकरण का कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के अन्य 65 जनपदों के मुख्यालय पर एक-एक नवीन रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना किये जाने हेतु 11.00 करोड़ आर0के0वी०वाई0 से स्वीकृत है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

4- पशुरोगों के नियंत्रण का कार्यक्रमः-

(1) पशुपालन विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष 2017-18 सें पशुओं के रोगों के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के रोग निरोधक टीकाकरण का कार्य निशुल्क किया जा रहा है।

(2) पशु रोगों के नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता एस्कैड प्रतिशत सम्प्रति 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में सघन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 75-जनपदों में एच0एस0 रोग निरोधक टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान के रुप में चलाया गया। योजनान्र्तगत पशुओं की विभिन्न रोगों से सुरक्षा हेतु पशुपालकों को जागरुक करने हेतु विविध कार्यक्रम एवं पशुचिकित्साविदों व पैरावेटनरी कार्मिकों को समय समय पर आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का कार्य भी किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्त 75-जनपदों में भारत सरकार के निर्देशानुसार पी0पी0आर0 टीकाकरण एक पृथक कार्यक्रम-पी0पी0आर0-सी0पी0 (60 प्रतिशत के0पो0) के अन्र्तगत किया जा रहा है।

पशु रोगो के नियन्त्रण हेतु राज्यो को सहायता (एस्कैड)-योजनान्तार्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में, कुत्तों के काटने से पशुओं में होने वाले रैबीज रोग की रोकथाम हेतु रैबीज रोग निरोधक टीकाकरण एवं पशुओं को अन्तः परजीवी से सुरक्षित रखने हेतु अभियान के रुप में दवापान की व्यवस्था किये जाने के लिये इण्डो पैरासिटिक कन्ट्रोल कार्यक्रम नामक दो नवीन कार्यक्रमों का प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(3) वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2013-14 तक खुरपका मुॅहपका, रोग नियंत्रण कार्यक्रम 17-जनपदों सम्प्रति 20-जनपदों में कुल 15 चरणों का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया । भारत सरकार के निर्देशानुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में खुरपका-मुहॅपका रोग-नियन्त्रण कार्यक्रम एफ0एम0डी0- सी0पी0 के विस्तारीकरण के समक्ष वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत

कार्यक्रम का प्रदेश के समस्त 75-जनपदों को अच्छादित कर 16वें चरण के रुप में निशुल्क एफ0एम0डी0 टीकाकरण अभियान का कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 19वें चरण के रुप में निशुल्क एफ0एम0डी0-टीकाकरण अभियान दि0 15 सितम्बर 2016 से तथा 15 मार्च, 2017 से 45-45 दिनों का चलाया गया। यह टीकाकरण अभियान प्रत्येक 6 माह के अन्तराल पर चलाया जाता है ताकी प्रदेश खुरपका मुॅहपका रोग से मुक्त हो सके।

(4) पशुरोगों के महामारी की निगरानी तथा उसकी रोकथाम के लिए प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 से अब तक 153 बीमारियों का सर्वे प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर रोग का सर्वे किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की नेशनल एनिमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम (100 प्रतिशत के0पो0) योजना के माध्यम से चलाया जा रहा है।

(5) अन्य प्रमुख बीमारियों जैसे टी0बी0 ब्रूसेल्ला, पुलोरम डिजीज, स्वाइन फीवर, रैबीज एवं बोवाइन स्टर्लिटी/इन्फर्टीलिटी एवं संक्रामक गर्भपात का नियंत्रण किया जाता है। उक्त रोगों के नियंत्रण हेतु प्रदेश में निदेशालय स्तर पर कुक्कुट रोग नियंत्रण प्रयोगशाला, टी0बी0 ब्रूसेला यूनिट स्थापित है। वर्तमान समय में 9 स्टर्लिटी इन्फर्टिलिटी एंव 10 कैनाइन रैबीज यूनिट, 2 पुलोरम डिजीज यूनिट, एक सूकर रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित हैं।

(6) पशुरोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत नेशनल कन्ट्रोल प्रोग्राम आन ब्रुसेल्लोसिस (एन0सी0पी0बी0)- 100 प्रतिशत सम्प्रति 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के माध्यम से प्रदेश में प्रजनन योग्य मादा पशुओं में प्रजनन योग्य मादा पशुओं में संक्रामक गर्भपात (ब्रुसेल्लोसिस) को नियंत्रित करने हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

5- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिन्डरपेस्ट सर्विलान्स एण्ड मानीटरिंग :-

यह 100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पोकनी रोग से मुक्त घोषित किया गया है। पूरे प्रदेश में रिन्डर पेस्ट जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं विलेज सर्च का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्त्गत रोग से ग्रस्त सम्भावित पशुओं को डे-बुक रजिस्टर में अंकित करना तथा पशुओं पर व्यापक निगरानी रखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रिण्डरपेस्ट रोग वर्तमान समय में नही है परन्तु यह रोग वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक रोग है जिसके संचारित होने की सदैव सम्भावना बनी रहती है, इसलिये इस पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखना निरंतर निगरानी आवश्यक है।

प्रक्रियात्मक रणनीतिः-

पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु बल दिया गया हैः-

1. रोग नियंत्रण सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को चिन्हित कर वार्षिक, त्रैमासिक तथा मासिक लक्ष्यों को निर्धारित कर तदानुसार समीक्षा, मूल्यांकन तथा कार्यक्रम

में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु त्वरित प्रभावी कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गई है ।

2. पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी तथा पशुओ में रोगों के रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों को पशुपालकों में लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशुपालन प्रचार-प्रसार को और सुदृढ़ किया जा रहा है । कृषि क्रय में रसायनिक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरता शक्ति लगातार घटती जा रही है जिससे उत्पादन भी प्रभावित है। कृषि उपज में वृद्धि लाने एवं भूमि की उर्वरता शक्ति को बरकरार रखने एवं पौष्टिक खाद्यान्न पैदा करने हेतु पशुपालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पशुपालन से जैविक खाद की उपलब्धता तथा इसके उपयोग से कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति बढेगी तथा पशुओं से प्रचुर मात्रा में दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थो की उपलब्धता भी होगी। विभाग द्वारा जनमानस में प्रचार-प्रसार, कृषकों एवं पशुपालकों को सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान रणनीति के साथ-साथ समय की मांग/ क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति के अनुरुप योजनाओं को तैयार करने हेतु रणनीति भी तैयार की जा रही है।

पशुरोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य/पूर्ति का विवरण

(संख्या लाख में)

	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18 (30 मई, 17 तक	
कार्यक्रम	**लक्ष्य**	**पूर्ति**	**लक्ष्य**	**पूर्ति**	**लक्ष्य**	**पूर्ति**
टीकाकरण	1766.04	1116.742	1655.80	1595.52	1655.80	-
चिकित्सा	302.86	341.714	302.86	354.73	318.08	-

रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन

स्वस्थ पशु देश की चल संपत्ति हैं। रोगों के निदान से बेहतर बचाव के सिद्धान्त को मानते हुए पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पशु जैविक औषधि संस्थान द्वारा उत्पादित टीका बहुत प्रभावकारी है। पशु-पक्षियों में विभिन्न रोगों के रोकथाम हेतु टीकों के उत्पादन का कार्य निदेशालय स्थित पशु जैविक औषधि संस्थान के द्वारा किया जा रहा है।

पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ में विभिन्न प्रकार की विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के टीकों (वैक्सीनों) का उत्पादन प्रदेश के ड्रग्स' एवं कास्मेटिक्स ऐक्ट' के अनुसार विधिवत् निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है। संस्थान में इनके उत्पादन के पश्चात् प्रयोगात्मक पशुओं पर इनका परीक्षण तथा विश्लेषण होता है। उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित होने पर ही वितरण हेतु इन्हें जारी किया जाता है। प्रदेश के जनपदों से प्राप्त मांग के अनुसार उत्पादित वैक्सीनों का वितरण संस्थान द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है।

पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ द्वारा वर्ष 2014-15 में विभिन्न 08 प्रकार की वैक्सीनों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2014-15 में कुल 228.494 लाख, वर्ष 2015-16 में 285.82 लाख तथा वर्ष 2016-17 में 167.61 लाख खुराक वैक्सीन उत्पादित हुई जैसा कि क्रमशः तालिका- 12 व 13 में दर्शाया गया है।

रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन (खुराक लाख में)

तालिका- 12

क्र० सं०	जैविक औषधियों के नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		लक्ष्य	**उत्पादन**	**लक्ष्य**	**उत्पादन**	**लक्ष्य**	**उत्पादन**
1.	**आर0डी0एफ0-1 वैक्सीन**	10.00	8.350	11.00	8.40	8.50	0.00
2.	**आर0डी0(आर02बी) वैक्सीन**	62.00	66.756	66.00	66.52	66.00	33.50
3.	**फाउल पाक्स वैक्सीन**	6.00	2.400	6.60	2.11	4.00	0.00
4.	**स्वाइन फीवर वैक्सीन**	1.20	0.733	1.30	1.08	1.30	0.56
5.	**एच0एस0एलम वैक्सीन**	145.00	139.70	250.00	197.76	225.00	133.55
6.	**बी0क्यू0 वैक्सीन**	2.10	2.375	2.20	2.25	2.20	0.00
7.	**टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन**	5.20	5.20	5.50	5.50	5.50	0.00
8.	**इन्ट्रोटाक्सीमिया वैक्सीन**	2.10	2.980	2.20	2.20	2.20	0.00
	योग.	**233.60**	**228.494**	**344.8**	**285.82**	**314.70**	**167.61**

वैक्सीन की उपलब्धि एवं वितरण की स्थिति (खुराक लाख में)

तालिका- 13

क्र० सं०	जैविक औषधियों के नाम	2015-16		2016-17	
		वितरण हेतु उपलब्ध वैक्सीन	वितरण	वितरण हेतु उपलब्ध वैक्सीन	वितरण
1	**आर0डी0 (आर 2बी) वैक्सीन**	72.532	57.684	81.388	51.592
2	**आर0डी0एफ0-1 वैक्सीन**	16.604	8.804	16.200	7.650
3	**फाउल पाक्स वैक्सीन**	0.640	0.640	6.110	2.110
4	**स्वाइन फीवर वैक्सीन**	1.408	1.145	1.371	1.289
5	एच0एस0एलम वैक्सीन	271.495	242.270	262.863	253.383
6	बी0क्यू0 वैक्सीन	4.503	3.073	1.4303.762	1.635
7	टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन	10.734	5.326	10.918	5.545
8	इन्ट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन	5.13	2.930	4.750	2.198
9	पी0पी0आर0 वैक्सीन	171.397	161.042	50.357	10.401
10	एफ0एम0डी0 वैक्सीन प्राइवेट	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ब्रुसेल्ला वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग.	**554.443**	**482.914**	**437.719**	**335.803**

नोट. वित्तीय वर्ष 2016-17 में एच0एस0 वैक्सीन 92.158 लाख खुराक निदेशालय द्वारा क्रय कर संस्थान को वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2017-18 के लिये आय-व्ययक में बजट व्यवस्था की गई है जिससे कि संस्थान द्वारा प्रदेश में उपलब्ध बड़े पशुओ, छोटे पशुओं तथा मुर्गियों का संक्रामक रोगों से बचाव के लिए क्षमतानुसार अधिक से अधिक जैविक टीके निर्मित किये जा सकेगें। उपरोक्त धनराशि की मांग के सापेक्ष तालिका 14 के अनुसार वर्ष 2017-18 में विभिन्न वैक्सीन के निर्माण हेतु लक्ष्य प्रस्तावित है। (वैक्सीन खुराक लाख में)

तालिका- 14

क्र० सं०	जैविक औषधियों के नाम	2016-17		2017-18 अनुमानित	
		लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
1.	आर0डी0 (आर 2बी) वैक्सीन	66.00	21.648	67.00	-
2.	आर0डी0एफ0-1 वैक्सीन	8.50	6.624	11.00	-
3.	फाउल पाक्स वैक्सीन	4.00	1.884	6.60	-
4.	स्वाइन फीवर वैक्सीन	1.30	0.514	1.30	-
5.	एच0एस0एलम वैक्सीन	225.00	145.154	250.00	-
6.	बी0क्यू0 वैक्सीन	2.20	1.427	2.30	-
7.	टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन	5.50	2.535	5.60	-
8.	इन्ट्रोटाक्सीमिया वैक्सीन	2.20	2.198	2.30	-
	योग	**314.70**	**181.984**	**346.10**	-

पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ के 2017-18 के वैक्सीन उत्पादन त्रैमासवार लक्ष्य

तालिका- 15

क्र०सं०	**वैक्सीन का नाम**	**प्रथम त्रैमास**	**द्वितीय त्रैमास**	**तृतीय त्रैमास**	**चतुर्थ त्रैमास**	**वार्षिक योग**
1.	आर0डी0 (आर 2बी) वैक्सीन	18.00	18.00	16.00	15.00	67.00
2.	आर0डी0एफ0-1 वैक्सीन	2.50	6.50	2.00	0.00	11.00
3.	फाउल पाक्स वैक्सीन	0.00	2.00	2.55	2.05	6.60
4.	स्वाइन फीवर वैक्सीन	0.00	0.90	0.40	0.00	1.30
5.	एच0एस0एलम वैक्सीन	90.00	85.00	0.00	75.00	250.00
6.	बी0क्यू0 वैक्सीन	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30
7.	टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन	0.00	0.00	2.80	2.80	5.60
8.	इन्ट्रोटाक्सीमिया वैक्सीन	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30
	योग.	**110.50**	**112.40**	**28.35**	**94.85**	**346.10**

वर्ष 2017-18 में वैक्सीन उत्पादन का प्रस्तावित माहवार कार्यक्रम

तालिका- 16

क्र०सं०	**वैक्सीन का नाम**	**4/17**	**5/17**	**6/17**	**7/17**	**8/17**	**9/17**	**10/17**
1.	आर0डी0 (आर 2बी) वैक्सीन	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
2.	आर0डी0एफ0-1 वैक्सीन	0.00	0.00	2.50	2.50	2.00	2.00	2.00
3.	फाउल पाक्स वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.85
4.	स्वाइन फीवर वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	0.20
5.	एच0एस0एलम वैक्सीन	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	0.00
6.	बी0क्यू0 वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	**टिशूकल्चर शीप पाक्स वैक्सीन**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
8.	इन्ट्रोटाक्सीमिया वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग-	**36.00**	**36.00**	**38.50**	**38.50**	**39.50**	**34.40**	**9.95**

क्र०सं०	वैक्सीन का नाम	11/17	12/17	01/18	02/18	03/18	वार्षिक योग
1.	आर0डी0 (आर 2बी) वैक्सीन	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	67.00
2.	आर0डी0एफ0-1 वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
3.	फाउल पाक्स वैक्सीन	0.85	0.85	0.85	0.60	0.60	6.60
4.	स्वाइन फीवर वैक्सीन	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
5.	एच0एस0एलम वैक्सीन	0.00	0.00	20.00	25.00	30.00	250.00
6.	बी0क्यू0 वैक्सीन	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	2.30
7.	टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन	0.90	1.00	1.00	0.90	0.90	5.60
8.	इन्ट्रोटाक्सीमिया वैक्सीन	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	2.30
	योग-	**9.25**	**9.15**	**26.85**	**31.50**	**36.50**	**346.10**

नोट-क्षेत्रीय माँग के अनुसार उत्पादन एवं वितरण घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

4. उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद

वित्तीय माँग धनराशि लाख रु0 में तालिका- 17

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
उ०प्र०वेटेरिनरी काउंसिल	71.53	-	71.53	38.99	-	38.99

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान 2017-18
उ०प्र०वेटेरिनरी काउंसिल	

प्रदेश में पशु चिकित्सा व्यवसाय को रेगुलेट करने तथा पशुपालकों को पशुओं की चिकित्सा स्नातक पशु चिकित्साविदों द्वारा उपलब्ध कराने तथा उन्हें पशु चिकित्सा की आधुनिक पद्धति की जानकारी देने के ध्येय से भारत सरकार द्वारा पारित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत किये जाने के पश्चात इसके अधीन भारत सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् कार्यालय की स्थापना की गई। कार्यालय की स्थापना के उपरान्त से सरकारी तथा गैर सरकारी पशु चिकित्साविदों के पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है । परिषद् की स्थापना की तिथि से दिनांक 31.03.2017 तक किये गये पंजीकरण, नवीनीकरण प्रमाणपत्र तथा निरस्तीकरण की स्थिति निम्नवत है:-

(1) पंजीकरण-6587 (2) नवीनीकरण- 7732 (3) निरस्तीकरण- 395

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होते है, पूर्ण व सही पाये जाने पर उनका शत प्रतिशत पंजीकरण/नवीनीकरण किया जाता है। बी0वी0एस0 सी0 एण्ड ए0एच0 कोर्स की समाप्ति पर जितने भी आवेदन पत्र प्रोविजनल

प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त होते हैं तथा सही पाये जाने पर शत-प्रतिशत अस्थाई प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का लक्ष्य है। यह योजना 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित हैं।

5-पशु तथा भैंस विकास

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण (धनराशि लाख रू0 में) तालिका-18

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
पशु तथा भैंस विकास	18306.87	233.00	18539.87	14963.58	215.10	15177.68

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान 2017-18
पशु तथा भैंस विकास	

परिचयात्मक/उद्देश्य:-

प्रदेश में पशु विकास का कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये चलाया जा रहा है:-

1-प्रदेश में पशु प्रजनन नीति वर्ष 2002 से प्रभावी है। पशु प्रजनन नीति को वर्तमान परिपेक्ष्य में विशेषज्ञों के सहयोग से रिव्यू किया जाना।

2-कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य वर्ष 2016-17 में 130.00 लाख निर्धारित किया गया है तथा बारहवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 160.00 लाख प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किये जाने का लक्ष्य है जिससे प्रदेश की कुल प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 66 प्रतिशत आच्छादन होगा।

3-कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कर पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराना।

4-प्रत्येक पशुचिकित्सालय क्षेत्र में बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन कर बांझपन समस्या से ग्रस्त पशुओं का उपचार कर प्रजनन योग्य बनाना है एवं पशुओं में परजीवी कृमिनाशक दवापान, मिनरल मिक्सचर, टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता को बढाया जाना ।

5-उच्च गुणवत्ता के जर्म प्लाज्म को बढ़ावा देने हेतु तथा प्रदेश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कामधेनु योजना लागू किया जाना।

6-पशुओं में परजीवी कृमिनाशक दवापान, मिनरल मिक्सचर, टीकाकरण/कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता को बढाया जाना।

7-ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन संबंधी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।

पशु विकास कार्यक्रम वस्तुतः मुख्य रूप से उन्नत प्रजनन पर आधारित है, जिसके लिये 5043 विभागीय संस्थाओं द्वारा कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

स्वरोजगार के अंतर्गत प्रशिक्षित 8168 पैरावेटस के द्वारा भी कृत्रिम गर्भाधान सेवा पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध करायी जा रही है। विभाग द्वारा 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों पर अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज का उत्पादन किया जा रहा है।

अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज का वर्षवार लक्ष्य व उत्पादन निम्नवत् है:- आंकड़े (लाख में)

तालिका - 19

क्रम सं०	मद	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	अतिहिमिकृत वीर्य स्ट्रॉज का उत्पादन	13.65	13.48	8.45	4.41	12.50	6.39	20.00	17.35	22.00

प्रदेश में पशु प्रजनन नीति:-

पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत प्रजनन योग्य पशुओं के चरणबद्ध रुप से 50-75 प्रतिशत (प्रत्येक गर्मी में आये पशु को) पशुओं को प्रजनन की सुविधा द्वारा आच्छादित करने के लिए विभाग कृत संकल्प है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एवं दूरस्थ ग्रामों में नैसर्गिक अभिजनन की सुविधा प्रदत्त की जा रही है। इसके लिए क्षेत्रवार निम्नवत् नस्ल के सांड़ों के वीर्य का उपयोग अनुमोदित है:-

1-दुग्ध विकास हेतु प्रदेश के गोवंश को विदेशी नस्ल के साड़ों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराकर संकर नस्ल तैयार कर दुग्ध की मात्रा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिये बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर मण्डल हेतु जर्सी व जर्सी क्रास तथा अन्य क्षेत्रों हेतु होलिस्ट्रीन फ्रीजियन व इनका क्रास अनुमोदित है ।

2-विशुद्ध भारतीय मूल के संरक्षण व संबर्द्धन हेतु इनके उच्चवर्गीकरण के लिये शुद्ध भारतीय नस्ल के सांड़ों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है ।

3-विदेशी रक्त को 50 प्रतिशत बनाए रखने के लिये स्वदेशी सांड़ों का वीर्य, संकर प्रजनन हेतु प्रयोग किया जा रहा है तथा संकर नस्ल के सांडों से गर्भित कराया जा रहा हैं।

4-महिषवंश के उच्चवर्गीकरण हेतु मुर्रा व भदावरी नस्ल के सांड़ों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है ।

5-वर्ष 2004-05 से विभाग मे वायफ के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के आर्थिक विकास /उन्नयन हेतु जनपदो में 512 केन्द्रों पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन केन्द्रों पर अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधन का कार्य किया जा रहा है।

6-वर्ष 2011-12 से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 120 केन्द्र एवं अन्य जनपदों में वायफ द्वारा 232 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संचालित करने हेतु शासन के ग्राम विकास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजनाः-

यह विश्व बैंक पुरोनिधानित योजना है। इसके अन्तर्गत पशुपालन सेक्टर में स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 तक 1837 पैरावेट्स कार्यशील किये गये हैं। इस योजना में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम प्रमुख रहा है। उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा 1600 पैरावेटों का चयन वर्ष 2013-14 में किया गया है।

प्रदेश में पशु प्रजनन कार्य के लिए विभाग द्वारा निम्नवत् सांड़ों को रखा गया है

तालिका - 21

क्र०सं०	**मद (2016-17)**	**गाय**	**भैंस**	**योग**
1.	**अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों पर**	116	91	207
2.	**बुन्देलखण्ड संभाग में वितरित सांडों की संख्या**	0	628	850
3.	**प्राकृतिक गर्भाधान हेतु रखे गये सांडों की संख्या**	865	642	1900
योग		**981**	**1361**	**3042**

विभागीय पैरावेट-

वर्ष 2014-15 में पैरावेट की योजना (रा0यो0)

वर्ष 2014-15 में पैरावेट की योजना के अन्तगत टोकन मनी प्राप्त हुई थी।

वर्ष 2015-16 में पैरावेट की योजना (रा0यो0)

वर्ष 2015-16 में पैरावेट की योजना के अन्तगत बजट प्राविधान नही हुआ है।

वर्ष 2016-17 में 500 मैत्री का चयन किया गया है

उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद के माध्यम से पैरावेट को प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालू योजनायें-

1-गायों/भैसों में कृत्रिम गर्भाधान तथा पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)

2-राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन की योजना (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा संचालित।

3-गाय/भैंसों में पशु अनुर्वरता एवं बांझपन की योजना (राज्य योजना)

4-गाय एवं भैंस विकास डेयरी काम्पलेक्स की स्थापना (राज्य योजना)

5-कामधेनु इकाईयों की ब्याजमुक्त ऋण योजना।

6-अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की योजना।

7-वर्ण संकर भ्रूर्ण प्रत्यारोपण केंद्र की स्थपाना।

कामधेनु डेयरी योजना

प्रदेश में उच्च उत्पादक क्षमता वाले गोवंशीय एवं महिषवंशीय दुधारू पशुओं के उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश में ही उच्च गुणवत्ता के पशुओं की उपलब्धता हेतु राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त कामधेनु मिनीकामधेनु एवं माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना प्रारम्भ की गयी है।

कामधेनु योजना (100 दुधारू पशुओं) में एक इकाई की पूर्ण लागत रू0 121.52 लाख है। इकाई लागत का 25 प्रतिशत (रू0 30.38 लाख) लाभार्थी को मार्जिनमनी के रूप में वहन करना होगा तथा 75 प्रतिशत (रू0 91.14 लाख)बैंक ऋण होगा । बैंक से लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पांच वर्षो (60 माह) तक ब्याज की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 32.82 लाख की सीमा तक की जायेगी ।

मिनी कामधेनु योजना (50 दुधारू पशुओं) मे एक इकाई की पूर्ण लागत रू0 50.58 लाख है।इकाई लागत का 25 प्रतिशत (रू0 12.64 लाख) लाभार्थी को मार्जिनमनी के रूप में वहन करना होगा तथा 75 प्रतिशत (37.94 लाख) बैंक ऋण होगा। योजनान्तर्गत बैंक से लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पांच वर्षो (60 माह) तक ब्याज की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 13.66 लाख की सीमा तक की जायेगी ।

माइक्रो कामधेनु योजना (25 दुधारू पशुओं) में इकाई की पूर्ण लागत रू0 26.99 लाख है। इकाई लागत का 25 प्रतिशत (रू0 6.74 लाख) लाभार्थी मार्जिनमनी के रूप में वहन करना होगा तथा 75 प्रतिशत (रू0 20.25 लाख) बैंक ऋण होगा । योजनान्तर्गत बैंक से लिये गये ऋण पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पांच वर्षो (60 माह) तक ब्याज की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 7.29 लाख की सीमा तक की जायेगी ।

भौतिक कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष 2017-18 **तालिका - 22**

त्रैमास का नाम	मद	2014-15		2015-16	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
प्रथम त्रैमास		अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से			
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	1392857	1399013	1650000	1470171
	उत्पन्न संतति की संख्या	500000	412186	598771	536917
द्वितीय त्रैमास		अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से			
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	1480367	1508248	2350000	1819410
	उत्पन्न संतति की संख्या	520000	392044	581687	515567
तृतीय त्रैमास		अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से			
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	2300222	2002231	2350000	1991108
	उत्पन्न संतति की संख्या	630000	595770	602887	590688
चतुर्थ त्रैमास		अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से			
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	2165412	2877689	1900000	3114730
	उत्पन्न संतति की संख्या	600000	715456	691685	631741
		अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से			

वार्षिक योग्य	**कृत्रिम गर्भाधान की संख्या**	**7338854**	**7787181**	**8250000**	**8395419**
	उत्पन्न संतति की संख्या	**2250000**	**2115456**	**2475030**	**2274913**

मास का नाम	**मद**	**2016-17**		**2017-18 (अनुमानित)**
		लक्ष्य	पूर्ति	
प्रथम त्रैमास		अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से		
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	2411003	1415859	2652103
	उत्पन्न संतति की संख्या	612799	548315	674079
द्वितीय त्रैमास		अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से		
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	2644786	2586774	2909265
	उत्पन्न संतति की संख्या	609786	522886	670765
तृतीय त्रैमास		अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से		
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	3947499		4342249
	उत्पन्न संतति की संख्या	781456		859602
चतुर्थ त्रैमास		अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से		
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	4004704		4405174
	उत्पन्न संतति की संख्या	809359		890295
		अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से		
वार्षिक योग्य	**कृत्रिम गर्भाधान की संख्या**	**13007992**	**4002633**	**14308791**
	उत्पन्न संतति की संख्या	**2813400**	**1071201**	**3094741**

6- कुक्कुट विकास कार्यक्रम

वित्तीय माँग धनराशि लाख रू0 में **तालिका - 23**

लेखाशीर्षक	**आय -व्ययक अनुमान**			**वास्तविक व्यय**		
	2016-17			**2016-17**		
	आयोजनागत	**आयोजनेत्तर**	**योग**	**आयोजनागत**	**आयोजनेत्तर**	**योग**
कुक्कुट विकास	1900.00	-	1900.00	1611.02	-	1611.02

लेखाशीर्षक	**आय -व्ययक अनुमान 2017-18**
कुक्कुट विकास	

वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य

परिचयात्मक/उद्देश्य

1. मानव आहार में उच्च गुणवत्ता की पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि करना।
2. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में कुक्कुट पालकों को उन्नतशील कुक्कुट पालन की प्रारम्भिक तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ कराना।
3. कुक्कुट को अपनी विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के छोटे/बड़े कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना।
4. कुक्कुट पालकों के पक्षियों में रोगों का सामान्य निदान तथा कुक्कुट पक्षियों में विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हेतु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना।
5. पशु/पक्षी के आहार की गुणवत्ता हेतु विभिन्न आहारों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।
6. कुक्कुट पालकों के कुक्कुट उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने तथा उनके विपणन में सहयोग प्रदान करना।
7. बैकयार्ड कुक्कुट पालन हेतु चूजे तैयार करना।
8. कुक्कुट विकास कार्यक्रम में उद्यमिता का विकास करना।

उत्पादन स्तर

1. अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् की संस्तुति के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 182 अण्डा तथा 10.82 कि0ग्रा0 कुक्कुट मांस मिलना चाहिए।
2. प्रदेश में 5 अण्डा तथा 0.837 कि0ग्रा0 कुक्कुट मांस प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष का उत्पादन है।
3. जबकि प्रदेश में 23 अण्डा तथा 0.9873 कि0ग्रा0 कुक्कुट मांस प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से उपभोग किया जा रहा है।
4. प्रदेश में अण्डा तथा कुक्कुट मांस के कुल उत्पादन के लगभग 35 प्रतिशत निजी क्षेत्र में कार्यरत आर्गनाइज्ड सेक्टर के कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा 65 प्रतिशत बैकयार्ड क्षेत्र में कार्यरत कुक्कुट प्रक्षेत्रों से होता है।
5. इस प्रकार प्रदेश के उक्त दोनों क्षेत्रों में विकास की असीम सम्भावनायें हैं।

विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैः-

1. कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना (राज्य योजना) 5 वर्षो में 123 लाख पक्षी क्षमता के फार्म।
2. ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना (राज्य योजना) 5 वर्षो में 6 लाख पक्षी क्षमता के फार्म।
3. कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरी की स्थापना।
4. 30 दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण।
5. आहार परीक्षण प्रयोगशाला

6. कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला
7. सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला
8. साल्मोनेला पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल प्रयोगशाला।
9. बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (रा०यो०)(एस0सी0पी0)
10. रूरल बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (60 प्रतिशत केन्द्र पोषित) राज्य योजना

1. कामर्शियल कुक्कुट विकास फार्म की स्थापना (राज्य योजना)

प्रदेश में लगभग 1 करोड़ अण्डा प्रतिदिन की दर से अन्य प्रदेशों से आयात किया जाता है जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए 5 वर्षो में 30 हजार कामर्शियल पक्षियों की एक इकाई की दर से कुल 410 इकाईयां खोली जायेगीं। एक इकाई की कुल लागत रू0 180.00 लाख आयेगी जिसका 70 प्रतिशत अर्थात रू0 126.00 लाख बैंक ऋण होगा तथा 30 प्रतिशत अर्थात रू0 54.00 लाख मार्जिन मनी होगी जिसे उद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इस योजना के लिए बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्षो (60 माह) तक राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज का वहन उद्यमी द्वारा स्वयं किया जायेगा। एक इकाई की स्थापना हेतु लगभग 3.00 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। उद्यमी एक इकाई अथवा इसके गुणक में फार्म की स्थापना कर सकता है। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अनुसार लाभार्थी को अन्य सुविधायें यथा योजना हेतु भूमि क्रय पर स्टैम्प डयूटी में शत-प्रतिशत छूट, मण्डी शुल्क में छूट, स्टैम्प शुल्क में छूट बिक्रीकर में छूट इत्यादि दी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 65 इकाईयों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष्य 114 इकाईयों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 90 इकाईयों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक रूप से 186 इकाईयों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-4064/सैतीस-2-2015(30)/116/2015 दिनांक 11,जनवरी-2016 के आदेशानुसार 30000 पक्षी/इकाई के साथ ही 10000 पक्षी प्रति इकाई की योजना भी शुरू की गयी तथा योजना के अनुसार 30000 पक्षी/इकाई का लक्ष्य 200 इकाई एवं 10000 पक्षी/इकाई का लक्ष्य 630 निर्धारित किया गया। उक्त के अनुसार वर्ष 2015-16 में मार्च-2016 तक कुल 105 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमित रूप से 325 इकाईयों के प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा 140 इकाईयों के बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत हुए और 104 इकाईयां क्रियाशील हुई। वर्ष 2016-17 में (30000 पक्षी/इकाई) कुल 155 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक रूप से माह मार्च-2017 तक 413 इकाईयों के सापेक्ष 185 इकाईयों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया तथा 161 इकाईयां क्रियाशील हो गयी हैं (प्रदेश में माह जुलाई-2016 तक लगभग अतिरिक्त अण्डा 33.21 लाख उत्पादित हो रहा है) तथा उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत 10000 पक्षी/इकाई में प्रति इकाई योजना की कुल लागत रू0 70.00 लाख आयेगी जिसका 70 प्रतिशत अर्थात रू0 49.00 लाख बैंक ऋण होगा तथा 30 प्रतिशत अर्थात रू0 21.00 लाख मार्जिन मनी होगी जिसे उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा तथा 5 वर्ष (60 महीने तक केवल 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी, इसमें केवल 2 इकाईयों की स्थापना ही एक लाभार्थी कर सकता है तथा विद्युत अधिभार में रू0 400.00 प्रति इकाई की छूट 10 वर्ष

तक प्राप्त होगी। अन्य नियम एवं शर्ते 30000 पक्षी/इकाई की भाँति ही लागू होगी, 10000 प्रति इकाई हेतु वर्ष 2016-17 के लिए कुल लक्ष्य 315 इकाईयों के सापेक्ष 499 इकाईयों के प्राप्त प्रस्तावों में से 135 इकाईयों के बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत हुए हैं और 80 इकाईयां क्रियाशील हो गयी हैं। प्रदेश में माह मार्च-2017 तक लगभग 50.67 लाख अतिरिक्त अण्डा प्रतिदिन पैदा हो रहा है। इस कार्यक्रम से प्रदेश में 16800 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा रू0 431.63 करोड़ का निवेश हुआ है।

2. ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना (राज्य योजना)

प्रदेश में लगभग 972 लाख कामर्शियल ब्रायलर चूजे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात किया जाता है जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए 5 वर्षो में 10 हजार ब्रायलर पैरेन्ट पक्षियों की एक इकाई के कुल 60 इकाईयां खोली जायेगी। एक इकाई की कुल लागत रू0 206.50 लाख आयेगी। जिसका 70 प्रतिशत अर्थात रू0 146.00 लाख बैंक ऋण होगा तथा 30 प्रतिशत अर्थात रू0 61.50 लाख मार्जिन मनी होगी जिसे उद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्षो (60 माह) तक राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज का वहन उद्यमी द्वारा स्वयं किया जायेगा। एक इकाई की स्थापना हेतु लगभग 6.00 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। उद्यमी एक इकाई अथवा इसके गुणक में फार्म की स्थापना कर सकता है। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2013 के अनुसार लाभार्थी को अन्य सुविधायें यथा स्टैम्प शुल्क में छूट, मण्डी शुल्क में छूट इत्यादि दी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 15 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष 02 इकाईयों का ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है।

3. कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरी की स्थापना

वर्तमान में कार्यरत 11 कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा एक बटेर प्रक्षेत्र पर निम्नवत पक्षियों को रखे जाने की क्षमता हैः-

क्र0सं0	प्रक्षेत्र का नाम	क्षमता
1.	बाबूगढ़-गाजियाबाद	3000
2.	चकगंजरिया-लखनऊ	3000
3.	वाराणसी	2000
4.	भोजीपुरा-बरेली	2000
5.	भरारी-झाँसी	2000
6.	गोण्डा	2000
7.	बिचपुरी-आगरा	2000
8.	इटावा	1000
9.	मुरादाबाद	2000
	कुल 09 प्रक्षेत्र	**19500 पक्षियों की कुल संख्या**

नोटः- वर्तमान समय में दो प्रक्षेत्र मिर्जापुर एवं फैजाबाद बन्द चल रहे हैं।

राजकीय बटेर प्रजनन प्रक्षेत्र, चकगंजरिया-लखनऊ निबलेट बाराबंकी में विस्थापित किया गया है।

4. 30 दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण

प्रदेश में एक मात्र महानगर-लखनऊ प्रक्षेत्र पर एक कुक्कुट पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनेत्तर पक्ष से संचालित है। इसके अन्तर्गत सेवाकालीन पशुधन प्रसार अधिकारियों तथा निजी क्षेत्र के कुक्कुट पालकों को कुक्कुट प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में कुल 66 विभागीय एवं गैर विभागीय कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

5. आहार परीक्षण प्रयोगशाला

कुक्कुट पालन में कुक्कुट आहार की गुणवत्ता का विशेष महत्व है। आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से लखनऊ में निदेशालय परिसर में एक आहार परीक्षण प्रयोगशाला आयोजनेत्तर मद में कार्यरत है, जहाँ पर अप्राक्सीमेट प्रिंसेपल के आधार पर आहार में नमी, फूड प्रोटीन, ईथर इप्सट्रेट टोटल एअर, एसिड इन साल्युविन एश तथा कार्बोहाइड्रेड बाइडिफेरेन्स यूरिया एवं आक्साटोक्सिन जाँच करने की व्यवस्था है। वर्ष 2016-17 में कुल 302 नमूनों का विश्लेषण किया गया है।

नई कृषि नीति के अन्तर्गत प्रदेश में आहार रेगुलेशन एक्ट को प्रभावी बनाने हेतु निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत इस प्रयोगशाला की आयोजनेत्तर मद से आटो एनेलाइजर के साथ आधुनिक बनाये जाने का प्रस्ताव है।

6. कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला

प्रदेश में कुक्कुट विकास के साथ-साथ कुक्कुट पक्षियों में नये-नये रोगों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी स्थिति में कुक्कुट व्यवसाय को लाभकारी बनाने के दृष्टिकोण से कुक्कुट पक्षियों को होने वाले रोगों का निदान अतिआवश्यक और महत्वपूर्ण है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में निदेशालय परिसर में एक कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला कार्यरत है। इसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की व्यवस्था राष्ट्रीय महत्ता के कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस प्रयोगशाला में कुक्कुट शव विच्छेदन भी किया जाता है। वर्ष 2016-17 में कुल 192 शव विच्छेदन प्रयोगशाला में किये गये।

7. सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला

वर्तमान में प्रदेश अन्तर्गत सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला के रूप में 10 इकाइयां मुरादाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर व वाराणसी, झांसी, फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, आगराए बरेली में स्थापित हैं। इन सचल प्ररयोगशालाओं की स्थापना निजी प्रक्षेत्रों/कुक्कुट पालकों के फार्मो पर पक्षियों को विभिन्न बीमारियों की जाँच तथा निदान के फलस्वरूप रोकथाम के सुझाव देने के उद्देश्य से की गई है ताकि निजी कुक्कुट पालकों की कुक्कुट रोग विषयक समस्याओं का निदान कर इससे कुक्कुट विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रयोगशाला में कार्यरत विशेषज्ञ/कर्मी कुक्कुट पालकों के द्वारा पर जाकर कुक्कुट रोगों की जांच कर निदान सम्बन्धी सुझाव देते है ।

8. साल्मोनेला पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल प्रयोगशाला

वर्ष 1998-99 में 2 पुलोरम डिजीज यूनिट क्रमशः वाराणसी एवं मुरादाबाद में स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई, जो संचालित है। इन प्रयोगशालाओं में निजी प्रक्षेत्रों एवं कुक्कुट पालकों के फार्म पर पाले जा रहे पक्षियों में साल्मोनेला पुलोरम कलर एन्टीजन द्वारा पुलोरम डिजीज की जांच की जाती है एवं कुक्कुट पालकों को इस बीमारी से बचाव हेतु सुझाव एवं उपचार भी दिये जाते हैं।

9. बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (रो0यो0) (एस0सी0पी0)

यह अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम है, जो समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित है। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करके उन्हें कुक्कुट पालन ट्रेड में एक सप्ताह का प्रशिक्षण समीप के पशु चिकित्सालय पर दिया जाता है उन्हें 50 चूजों की एक इकाई खुलवायी जाती है। प्रति इकाई रू0 3000.00 मात्र का पैकेज व्यय आता हैए जो पूर्णतः अनुदान है। पैकेज के अन्तर्गत 50 चूजे, कुक्कुट आहार, दवा, छप्पर की व्यवस्था, प्रशिक्षण एवं चूजों का लाभार्थी के द्वार तक यातायात सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 15000 इकाईयां खोले जाने का लक्ष्य था। (प्रति जनपद 200 कुक्कुट इकाई) इसके सापेक्ष शत-प्रतिशत 15000 इकाइयां खोली गयी। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 15000 इकाईयां खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है । प्रदेश के समस्त जनपदों में (जनपदवार) निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की शत-प्रतिशत पूति कर ली गई है तथा अनुसूचित जाति के निर्धन/गरीब लाभार्थियों अवस्थापना कर रोजगार का सृजन किया गया।

वर्ष 2016-17 में योजना में प्राविधानित धनराशि रू0 450.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत कर दी गई है तथा प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए निर्धारित लक्ष्य 15000 कुक्कुट इकाईयों के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ति की गयी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनन्तार्गत धनराशि 450.00 लाख की बजट वयवस्था है जिसेसे प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए निर्धारित लक्ष्य 15000 कुक्कुट इकाईयों का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

10. रूरल बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (60 प्रतिशत केन्द्र पोषित)

यह 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित बी0पी0एल0 लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत मदर यूनिट खोलकर प्रति मदर यूनिट से 300 बी0पी0एल0 लाभार्थियों को लिंक करके प्रति लाभार्थी 45 एक माह के चूजे दिये जाते हैं। वर्तमान वितीय वर्ष में लाभार्थियों को मदर यूनिट्स के माध्यम से 28 दिनों के पक्षी वितरण की योजना भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप तैयार कर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनन्तार्गत वित्तपोषण हेतु प्रेषित है।

वर्ष 2014-15 से भारत सरकार ने यह योजना एन0एल0एम0 ,नेशनल लाइवस्टाक मिशन) अन्तर्गत संचालित किया है। वर्ष 2014-15 के लिए 15 जनपदों में 107 मदर यूनिट स्थापित कर 32100 बी0पी0एल0 लाभार्थियों को 14.445 लाख 28 दिवसीय चूजे वितरित कर लभान्वित किया जाना था परन्तु राज्य सरकार द्वारा अनुदान संख्या-83 अन्तर्गत बजट प्राविधान न होने के कारण बजट उपयोग नही किया जा सका।

वर्ष 2015-16 में भारत सरकार के निर्देशानुसार 100 मदर यूनिट का प्रस्ताव बनाकर केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत भेजा गया था। इसके साथ शेल्टर/आहार के लिए रू0 1500.00 प्रति लाभार्थी भी दिया जाता है। प्रति मदर यूनिट स्थापना के लिए रू0 60000.00 का अनुदान था। वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कोई बजट नही अवमुक्त किया गया। वर्ष 2016-17 में 251 मदर यूनिट खोलकर 75300 बी0पी0एल0 लाभार्थियों को 33.885 लाख चूजे दिये जाने का प्रस्ताव रू0 2974.35 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया।

प्रक्रियात्मक रणनीति

कुक्कुट विकास कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में बैकयार्ड पोल्ट्री को विकसित करने तथा निजी क्षेत्र के बड़े कुक्कुट उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु निम्न रणनीति बनायी गयी हैः-

1. प्रमुख कार्यक्रमों का लक्ष्यों का वार्षिक त्रैमासिक तथा मासिक निर्धारण पर नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन कर कार्यक्रम में आने वाली कठिनाईयों के निस्तारण पर बल दिया गया है।

3. कुक्कुट स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भावित संक्रामक रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण तथा न्यू इमरजिंग डिजीज के रोग निदान की सुविधा कुक्कुट पालकों के द्वार पर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है।

3. प्रक्षेत्र में कुक्कुट विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक कुक्कुट प्रोग्राम अधिकारी नियुक्त किया गया हैए जो उद्यमियों को इस व्यवसाय में आ रही कठिनाईयों को दूर करने एवं क्रियान्वयन में सहयोग करेगें।

4. बर्ड फ्लू से बचाव हेतु आवश्यक कदम एवं मोककड्रिल कराये जाते हैं।

सारांश वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य कुक्कुट विकास कार्यक्रम

(रू0 लाख में) **तालिका - 24**

क्र0 सं0	कार्यक्रम का नाम विवरण	वर्ष 2015-16 की वास्तविक		वर्ष 2016-17 क्रमिक पूर्ति माह जुलाई- 2016 तक		वर्ष 2017-18 का अनुमान
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रक्षेत्र पर रखे गये प्रजनन योग्य कुक्कुट पक्षी	0.230	0.14139	0.17500	0.5900	0.17500
	उत्पादिन अण्डे	34.50	8.48667	26.25	0.93164	26.25
	उत्पादित चूजे	20.70	2.46868	15.75	0.54740	15.75
2	तीस दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण	125	112	125	45	125
3	आहार विश्लेषण	500	324	500	69	500

नोटः वित्तीय वर्ष 2016-17 में चल रहे राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रए बाबूगढ़-हापुड़ए वाराणसीए भोजीपुरा-बरेली एवं बकेवर-इटावा पर पैरेन्ट स्टाक हेतु बजट उपलब्ध न होने के कारण पैरेन्ट नही पाले जा रहे है। जिस कारण लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति कम है।

7-भेड़ तथा ऊन विकास

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग धनराशि लाख रू0 में **तालिका - 25**

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
भेड़ तथा ऊन विकास	25.00	-	25.00	25.00	-	25.00

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान 2017-18
भेड़ तथा ऊन विकास	

परिचयात्मक:-

1. प्रदेश में भेड़ एवं ऊन विकास का मूल उद्देश्य कार्पेट योग्य मीडियम कोर्स ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना।

2. भेड़ पालको के आर्थिक स्तर को उन्नतशील बनाना व कार्पेट निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा का अर्जन।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

भेड़ विकास कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ **तालिका - 26**

मद विवरण	2015-16		2016-17		2017-18
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति (माह मई, 2016 तक)	अनुमानित लक्ष्य
1.भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की सं0-2	-	-	-	-	-
उपलब्ध नर मेढ़ा - 1243	-	-	-	-	-
उपलब्ध मादा भेडे-1302	-	-	-	-	-
क. उत्पन्न-संतति	1150	315	1150	296	1150
ख. प्रजनन हेतु वितरित नर/मादा बच्चे	570	411	570	34	570
2. भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र-180	-	-	-	-	-
मेढ़ा केन्द्र-5	-	-	-	-	-
प्रजनन हेतु वितरित मेढो की संख्या -1744	-	-	-	-	-
क. गर्भित भेड़ों की संख्या	330000	282000	330000	335921	330000
ख उत्पन्न संतति	230000	238653	230000	222479	230000
ग. दवापान	400000	415693	400000	800446	400000
घ. चिकित्सा	260000	261379	260000	74564	260000

भेड विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष **2017-18**

क्र0 सं0	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य 2016-17	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास
1.	भेड प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित भेड़ों की सं0	1080	270	270	270	270
ख	उत्पन्न संतति सं0	1150	287	287	288	288
ग	प्रजनन हेतु वितरित बच्चे	570	143	143	142	142
1.	**भेड़ एवं ऊन प्रसार/मेढ़ा केन्द्र**					
क	गर्भित भेंड़ों की सं0	330000	82500	82500	82500	82500
ख	उत्पन्न संतति की सं0	230000	57500	57500	57500	57500
ग	दवापान	400000	100000	100000	100000	100000
घ	चिकित्सा	260000	65000	65000	65000	65000

8. सूकर विकास एवं बकरी विकास

सूकर विकास

परिचयात्मक:-

1- मानव खाद्य योग्य पदार्थो का आहार व मानव उपयोग हेतु पशुजन्य प्रोटीन युक्त उत्तम सामिष आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूकर पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाना तथा उन्नत प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराकर देशी प्रजाति में संकर प्रजनन कराकर मांस उत्पादन व गुणवत्ता में वृद्धि करना।

2. ग्रामीण परिवेश में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

3. निर्बल एवं उपेक्षित वर्ग का आर्थिक उन्नयन करना।

सूकर विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

तालिका - 27

क्र0 स0	**मद विवरण**	**2015-16**		**2016-17**		**2017-18**
		लक्ष्य	**पूर्ति**	**लक्ष्य**	**पूर्ति (माह 25, मई 2016 तक)**	**अनुमानित लक्ष्य**
1	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों की सं0- 6, उपलब्ध पशु नर 67, मादा 205					
क	उत्पन्न संतति	1920	934	1920	210	1920
ख	प्रजनन हेतु वितरित शूकर शावक	1350	995	1350	195	1350
2	सूकर विकास खण्ड-34	-	-	-	-	-
	नर सूकरयुक्त प0चि0 की सं0-415	-	-	-	-	-
क	गर्भित सूकरियों की संख्या	22500	17375	22500	714	22500
ख	उत्पन्न संतति	82500	20874	82500	1205	82500

सूकर विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2017-18

तालिका - 28

क्र0 सं0	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र0 त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृ0 त्रैमास	च0 त्रैमास
1	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित सूकरियों की सं0	300	75	75	75	75
ख	उत्पन्न संतति	1920	480	480	480	480
ग	प्रजनन हेतु वितरित शूकर शावक	1350	327	327	328	328
2	सूकर विकास खण्ड-नर सूकर युक्त पषुचिकित्सालय					
क	गर्भित सूकरियों की सं0	22500	5625	5625	5625	5625
ख	उत्पन्न संतति	82500	20625	20625	20625	20625

बकरी विकास

परिचयात्मक:

1. समाज के निर्बल आय वर्ग के आर्थिक उन्नयन हेतु परम्परागत सहयोग के रूप में विकसित किया जाना।
2. ग्रामीण परिवेश में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ।
3. मानव उपयोग हेतु बकरी जन्य प्रदार्थो यथा मांस एव दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।

बकरी विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

तालिका - 28

क्र0 स0	**कार्य विवरण**	**2015-16**		**2016-17**		**2017-18**
		लक्ष्य	**पूर्ति**	**लक्ष्य**	**पूर्ति**	**अनुमानित लक्ष्य**
1	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की सं0-6					
क	उपलब्ध पशु नर.101, मादा.550	325	280	325	322	325
ख	उत्पन्न संतति	170	212	170	71	170
2	प्रजनन कार्य हेतु वितरित बच्चे					
क	नर बकरा युक्त प0चि0 की सं0.1141	170000	15106	170000	16770	170000
ख	गर्भित बकरियों की सं0	180000	13405	180000	7157	180000

बकरी विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2017-18 **तालिका - 29**

क्र. सं.	**मद विवरण**	**वार्षिक लक्ष्य**	**प्र0 त्रैमास**	**द्वितीय त्रैमास**	**तृतीय त्रैमास**	**चतुर्थ त्रैमास**
1	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित बकरीयों की संख्या	325	81	81	81	82

ख	उत्पन्न संतति	300	75	75	75	75
ग	प्रजनन कार्य हेतु वितरित बच्चे	170	42	42	43	43
2	नर बकरा युक्त पशु चिकिसालय					
क	गर्भित बकरियों की संख्या	170000	42500	42500	42500	42500
ख	उत्पन्न संतति	180000	45000	45000	45000	45000

9.अन्य पशुधन विकास

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग **धनराशि लाख रू0 में** **तालिका - 30**

लेखाशीर्षक	**आय -व्ययक अनुमान**			**वास्तविक व्यय**		
	2016-17			**2016-17**		
	आयोजनागत	**आयोजनेत्तर**	**योग**	**आयोजनागत**	**आयोजनेत्तर**	**योग**
अन्य पशुधन विकास	47.50	3647.09	3694.59	10.53	3593.98	3604.51

लेखाशीर्षक	**आय -व्ययक अनुमान 2017-18**
अन्य पशुधन विकास	

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र

परिचयात्मक एवं उद्देश्य:.

उ0 प्र0 पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 10 राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र कार्यरत है, जिनका मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैः

1.भारतीय मूल के गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना।

2.भारतीय मूल के उन्नतशील नस्ल के सांडों का उत्पादन करना तथा प्रदेश के पशुपालको को प्रजनन हेतु सांडों को उपलब्ध कराना।

3.उन्नतशील प्रजाति के आधारीय तथा प्रमाणित चारा बीजो का उत्पादन करना तथा प्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध कराना।

11 राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों में से 9 प्रक्षेत्र शासन द्वारा वाणिज्यिक एवं एक प्रक्षेत्र अवाणिज्यिक घोषित है। प्रक्षेत्रों पर चल रहे कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है:-

तालिका - 31

क्र0सं0	**प्रक्षेत्र का नाम**	**वाणि0/ अवाणि0**	**चलाये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण**
1	**2**	**3**	**4**
1	आराजीलाइन्स, वाराणसी	वाणिज्यिक	गंगा तीरी गायों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन

2	बाबूगढ, गाजियाबाद	तदैव	हरियाणा गायों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन
3	भरारी, झांसी	तदैव	थारपारकर गायों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन
4	चकगंजरिया स्थान निबलेट बाराबंकी	तदैव	मुर्रा भैसें एवं साहीवाल गायों का संरक्षण एवं सम्वर्धन।
5	हस्तिनापुर, मेरठ	तदैव	हरियाना गायों एवं मुर्रा भैसों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन।
6	मंझरा, लखीमपुरखीरी	तदैव	मुर्रा भैंसों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन
7	निबलेट, बाराबंकी	तदैव	चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन।
8	कमियार.बाराबंकी		कमियार प्रक्षेत्र का संचालन निबलेट प्रक्षेत्र द्वारा किया जाता हैं। यह प्रक्षेत्र बाढ. ग्रसित क्षेत्र है यहाँ पर जल भराव होने के कारण केवल रवी फसलों के अन्र्तगत रवी चारा बीज की फसलें ली जाती हैं। यहाँ पर कोई भी पशु नही पाले जा रहे हैं। प्रक्षेत्र पर कोई भी आवासीय एवं अनावासीय भवन नही है।
9	नीलगांव, सीतापुर	तदैव	हरियाना गायों एवं मुर्रा भैंसों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन।
10	सैदपुर, ललितपुर	तदैव	हरियाणा गायों का संरक्षण एवं सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन।
11	आटा, जालौन	अवाणिज्यिक	विभिन्न नस्लों के गो एवं महिषंवशीय नर बच्चों का सांड़ हेतु सम्वर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन।

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का वर्षवार फसलों की बुआई एवं उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण (हक्टेयर में) **तालिका - 32**

क्र0 सं0	फसल का नाम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17 (02/2017 तक)		अनुमानित 2017-18
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य
1	जायद/खरीफ चारा	545.00	560.00	525.00	525.08	555.00
2	रवी चारा	363.00	363.00	365.00	365.00	365.00
3	खरीफ चारा बीज	780.00	780.00	880.00	896.66	750.00
4	रवी चारा बीज	872.00	871.70	958.00	965.13	965.00
	योग	**2560.00**	**2576.04**	**2728**	**2751.87**	**2635.00**

चारा उत्पादन का वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि

(क) हरा चारा (टन में) **तालिका - 33**

क्र0 सं0	फसल का नाम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17 (02/2017 तक)		अनुमानित 2017-18
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य
1	जायद/ खरीफ चारा	17400.00	12664.20	170000.00	132034.00	179500.00
2	रवी चारा	513187.50	10092.00	141250.00	119010.00	146250.00
	योग	**30587.50**	**22756.20**	**311250.00**	**251044.00**	**325750.00**

(ख) सूखा चारा (टन में) तालिका - 34

क्र0 सं0	फसल का नाम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17 (02/2017 तक)		वर्ष 2017-18 का अनुमानित
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य
1	खरीफ बीज	2100.00	804.24	2400.00	1078	2400.00
2	रबी बीज	3251.00	1290.15	3592.00	1500	3592.00
	योग	**5351.00**	**2094.39**	**5992.00**	2578	**5992.00**

(ग) बीज (टन में) तालिका - 35

क्र0 सं0	फसल का नाम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17 (02/2017 तक)		वर्ष 2017-18 का अनुमानित
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य
1	खरीफ बीज	468.00	201.62	528.00	85.20	528.00
2	रबी बीज	1284.60	703.05	1420.00	1000.00	1420.00
	योग	**1752.60**	904.67	**1948.00**	1085.20	**1948.00**

वर्षवार दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धि (प्रक्षेत्रों पर) (दूध उत्पादन लीटर में)

तालिका - 36

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17 (02/2017 तक)		वर्ष 2017-18 का अनुमानित
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य
1	अराजी लाइन्स वाराणसी	71800	60059.7	110000	53363.70	80500
2	बाबूगढ़ गाजियाबाद	127800	103856.50	145400	38204.00	145400
3	भरारी झांसी	148000	94587.00	142300	24406.50	142300
4	चकगंजरिया स्थान निबलेट बाराबंकी	201100	152945.50	303100	58024.00	303100
5	हस्तिनापुर मेरठ	95000	81273.00	100000	30500.00	100000
6	मँझरा खीरी	110200	82763.25	129600	18282.50	129600
7	निबलेट बाराबंकी	–	–	–	–	–
8	नीलगाँव सीतापुर	69800	1295.50	65600	4456.00	65600
9	सैदपुर ललितपुर	241700	100614.00	250500	27487.00	250500
10	आटा जालौन					
	योग	**1065400**	**794421.45**	**1217000**	**221257.00**	**1217000**

वर्षवार साड उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण (प्रक्षेत्रों पर)

तालिका - 37

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र का नाम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18 का अनुमानित
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य
1	अराजीलाइन्स वाराणसी	16	31	17	-	17
2	बाबूगढ़ गाजियाबाद	28	53	32	-	32
3	भरारी झांसी	30	42	59	-	59
4	चकगंजरिया स्थान निबलेट बाराबंकी	40	74	61	-	61
5	हस्तिनापुर मेरठ	21	43	21	-	21
6	मँझरा खीरी	22	38	26	-	26
7	निबलेट बाराबंकी	-	-	-	-	
8	नीलगाँव सीतापुर	15	19	13	-	13
9	सैदपुर ललितपुर	52	57	54	-	54
10	आटा जालौन					
	योग	**224**	**357**	**253**	-	**253**

चारा तथा चारागाह विकासः.

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण वित्तीय मांगः तालिका - 37

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना	294.60	-	294.60	157.08	-	157.08

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान 2017-18
अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना	

1- परिचयात्मक उद्देश्यः-

पशुओं के संतुलित आहार में चारे का महत्वपूर्ण स्थान है। चारे के अभाव में पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता अत्यन्त प्रभावी ढ़ग से कम होकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त पशुओं को पौष्टिक चारा मानक के अनुरूप उपलब्ध न होने के दशा में

उनके शारीरिक गुणों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौष्टिक चारें के अभाव में पशुओं के प्रथम व्यात की आयु में बढ़ोत्तरी, दो व्यातों में मध्यान्तर अधिक होना, बांझपन, अंधापन तथा अन्य बीमारियों तथा प्रतिरोधक क्षमता में कमी की सम्भावना बनी रहती है।

पशुओं के स्वास्थ्य एवं उनकी उत्पादकता तथा प्रतिरोधक बनाए रखने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से कृषकों उन्नतिशील प्रमाणित चारा बीज उपलब्ध कराना तथा अपौष्टिक चारें एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना एवं कुट्टी काटकर चारा आपूर्ति सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में पशुओं के आहार पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(अ) राज्य योजनाएं:-

1-अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (100प्रतिशत राज्य योजना)।

2-अपौष्टिक चारें एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (100प्रतिशत राज्य योजना)।

ब) केन्द्र पोषित योजनाएं:-

1-परती (वेस्ट लैण्ड)/गोचर भूमि पर चरागाह विकास की योजना (100 प्रतिशत के0पो0)।

2-हस्त चालित कुट्टी काटने की मशीन वितरण की योजना (60 प्रतिशत केन्द्र 40 प्रतिशत लाभार्थी अंश)।

3-शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन वितरण की योजना (60 प्रतिशत के0पो0 40 प्रतिशत लाभार्थी अंश)।

(स) राज्य योजनाएं:-

1- चारा एवं चरागाह विकास की योजना (जि0यो0):-

प्रदेश में गत वर्ष 2015-16 में 50 जनपदों में सामान्य से (60 प्रति0) कम वर्षा होने के कारण हरा चारा कम उत्पादित होने से चारे की अत्यधिक कमी हो गयी है। इस कमी को दूर करने के लिये राज्य सरकार के सहयोग से पशुपालकों को हरा चारा उत्पादन हेतु चारा उत्पादन किट निशुल्क वितरण कराय जायेगीए जिससे पालको द्वारा हरा चारा उत्पादित किया जायेगा। उक्त किट का वितरण अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (ए0एफ0डी0पी0) के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जायेगा।

प्रदेश के उक्त 50 सूखा ग्रस्त जनपदों में 10हजार हे0 क्षेत्रफल में बहुकटाई वाली ज्वार, मक्का, लोबिया, बाजरा, जई तथा बरसीम चारा बीज जनपद की भौगोलिक एवं सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर चारा उत्पादन किट पशुपालको को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में 80 प्रति0 पशुपालन का कार्य लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा किया जा रहा है। अतः इस याजना को लोभोन्मुखी बनाने हेतु 0.10 हे0 की न्यूनतम तथा 2.0 हे0 अधिकतम सीलिंग निर्धारित की गई है।

योजना का उद्देश्यः-

1- प्रदेश में हरे चारे की कमी को दूर करने हेतु सहयोग करना।

2- पशुपालकों को दुग्ध व्यवसाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

3- पशुओं को पर्याप्त मात्रा में हरा एवं पौष्टिक चारा उनलब्ध करवाना।

4- पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।

5 पशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना।

6- हरे चारे के उत्पादन में वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन लागत में कमी लाना।

2- अपौष्टिक चारें एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (राज्य योजना):-

इस योजनान्तर्गत प्रदेश के सूखे चारे की कमी को पूरा करने के लिए अनुपयोगी चारे को पौष्टिक बनाकर पशुओं को खिलाए जाने की योजना है। वर्तमान में प्रदेश में हरा चारा का उत्पादन/उपलब्धता एवं आवश्यकता में बहुत गैप है। अतः ऐसे पशुओं को पौष्टिक चारें की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रश्नगत योजना का संचालन किया जाना आवश्यक है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत योजना का संचालन किया जा रहा है, यह योजना पूर्णतयाः राज्य योजना द्वारा संचालित की जायेगी।

योजना का उद्देश्यः-

पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन के लिए हरा चारा व पशु आहार एक आदर्श भोजन है, किन्तु हरे चारें का वर्षभर उपलब्ध न होना तथा पशु आहार का मूल्य अधिक होना, पशुपालकों के लिए एक समस्या है। सामान्यतः धान व गेहू का भूसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है, लेकिन भूसे में पौष्टिक तत्व बहुत कम होते है। (प्रोटीन 04 प्रतिशत से भी कम) भूसे का यूरिया से उपचार करने से पौष्टिकता बढ़ती है, और प्रोटीन की मात्रा उपचारित भूसे में लगभग 09 प्रतिशत हो जाती है। इसके नियमित प्रयोग से पशु आहार की मात्रा में 30 प्रतिशत तक की कमी की जा सकती है। अतः प्रश्नगत योजना का संचालन प्रदर्शन के रूप में करके पशुपालकों में लोकप्रिय बनाने एवं अपनाकर पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु चलाया जाना।

(ब) केन्द्र पोषित योजनाएं:-

1- परती (वेस्ट लैण्ड)/गोचर भूमि पर चरागाह विकास की योजना (100प्रतिशत के0पो0):-

इस योजनान्तर्गत ग्राम समाज की परती भूमि गो सदनो/गोशालाओं की भूमि तथा विभाग के प्रक्षेत्रों की भूमि को समतलीकरण कर उन्नतशील चारेगाहों का विकास किया जाता है। यह योजना भारत सरकार से एक भाग में संचालित की जाती है, परन्तु प्रदेश सरकार से इसके संचालन में दो भागों में आवंटित कर प्रथम भाग राजस्व मद तथा द्वितीय भाग पूजींगत मद है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2016-17 में राजस्व मद में कार्य किया जाना है पूर्व वित्तीय वर्षो में पूंजीमद का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, राजस्व मद में रू0 28,00,000.00 का कार्य किया जाना अवशेष है।

योजना का उद्देश्यः-

प्रश्नगत योजना अन्तर्गत ग्राम समाज की परती भूमि जो चरागाहों हेतु आरक्षित है, परन्तु अनुपयोगी पड़ी हुयी है तथा गो सदनों/गोशालाओं तथा विभाग के राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि जो अनुपयोगी पड़ी हुयी है को समतलीकरण कर सिंचाई सुविधाओं इत्यादि से व्यवस्थित करके उन्नतशील चरागाहों का विकास किया जाता है, इसके अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि की एक यूनिट (10 हे0 भूमि) की रू0 10.00 लाख तथा गो सदनों/गोशालाओं तथा विभागीय प्रक्षेत्रों को एक यूनिट (10 हे0 भूमि) की रू0 6.50 लाख में विकसित किये जाने की योजना है। प्रश्नगत चारागाह विकसित हो जाने के पश्चात् वर्षभर हरा चारा उत्पादित होता हैए जिसे चराई तथा कटाई कर पशुओं को खिलाया जाता है। इससे पशुओं को वर्ष भर पौष्टिक हरा चारा मिलने से उनके स्वास्थ्य तथा उपादकता में वृद्धि होगी ।

2- हस्तचालित कुट्टी काटने की मशीन का वितरण की योजना (75 प्रतिशत के0पो0 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश (नेशनल लाइव स्टाक मिशन अन्तर्गत):-

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पशुपालकों अनुपयोगी सूखे चारें के उपयोगी बनाने के लिए 60 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान एवं 40 प्रतिशत लाभार्थी अंश पर हस्तचालित कुट्टी काटने के मशीन का वितरण किया जाना है, जिससे सूखे चारें के गैप को कम किया जा सकेए तथा चारें की लागत में भी कमी की जा सके तथा प्रदेश में अनुपयोगी सूखे चारें को उपयोग में लाया जा सके तथा सूखे चारें से उत्पन्न गैप को भी कम किया जा सके। इसमें अतिरिक्त पशुपालकों को चारें की लागत में कमी भी लायी जा सके। प्रश्नगत योजना से जब सूखे चारे का गैप कम हो तो प्रदेश के पशुओं को सम्पूर्ण रूप से खिलाई करके पालन पोषण में उत्पन्न हो रही कठिनाई से पशुपालकों को बचाया जा सकेगा।

योजना का उद्देश्यः-

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पशुपालकों को अनुपयोगी चारें को उपयोग कर लिये जाने के उद्देश्य से हस्तचालित कुट्टी मशीन का वितरण कर सूखे चारें की लागत में कमी लाने तथा सूखे चारे के गैप को समाप्त किया जा सके। इसके अन्तर्गत भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध है परन्तु वित्तीय स्वीकृति उ0प्र0 शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही योजना का उद्देश्य पूर्ण रूप से कर लिया जायेगा।

3- शक्तिचालित कुट्टी काटने की मशीन के वितरण की योजना (50 प्रतिशत के0पो0 50 प्रतिशत लाभार्थी अंश) :-

इस योजना अन्तर्गत प्रदेश के पशुपालकों 60 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान तथा 40 प्रतिशत लाभार्थी अंश के माध्यम से शक्ति चालित कृट्टी काटने की मशीन का वितरण किया जायेगा। इसके वितरण से सूखा चारा जो अनुपयोगी हो जाता है उसे कुट्टी काटकर उपयोगी बनाकर पशुओं को खिलाया जा सकेगा।

योजना का उद्देश्यः-

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पशुपालकों को शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन का वितरण कर अनुपयोगी चारें को महीन कुट्टी बनाकर उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जाना है। जिससे अनुपयोगी सूखे चारें का उपयोग हो सके।

11-प्रसार तथा प्रशिक्षण

पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय मांग (धनराशि लाख रू0 में) तालिका - 38

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
प्रसार एवं प्रशिक्षण	—.	.—	—	-	-	-

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान 2017-18
प्रसार एवं प्रशिक्षण	

परिचयात्मक/उद्देश्यः-

प्रदेश में संचालित विभिन्न पशुपालन के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को नवीनतम तकनीकी को ग्राह्य करवाना तथा जन सामान्य को पशुधन प्रदार्थों की उपलब्धता बढ़ाना है। इसके साथ ही प्राचीन रूढ़ियों को समाप्त कर पशुपालन के विभिन्न आयामों को लाभप्रद दिशा प्रदान करना है।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न कार्यक्रम निर्धारित है:-

1.अखिल भारतीय पशुधन एवं कुक्कुट प्रर्दशनी तथा अन्य पशुधन प्रर्दशनियों में भाग लेना।

2.मण्डल/जनपद स्तर की पशुधन प्रदर्शनियों, काफरैली, पशुपालन गोष्ठियों का आयोजन।

3.प्रचार-प्रसार, साहित्य का प्रकाशन, प्रेक्ष्य निर्माण एवं प्रदर्शन आदि।

4.गोष्ठी, पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।

तालिका - 39

कार्यक्रम	वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1.पशु प्रदर्शनियाँ एवं काफरैलियाँ	75	75	75	-	75	-	75	-
2.पशुपालक गोष्ठियाँ	75	75	75	-	75	-	75	-
3.पशुपालक प्रशिक्षण	820	820	-	-	-	-	-	-
4.मण्डप निर्माण (राज्य स्तरीय)	2	2	2	-	2	-	2	-
5.साहित्य प्रकाशन	15	10	15	-	15	-	15	-

क्रमांक- क्रमांक 1 से 5 तक की पूर्ति आयोजनागत/आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु धनराशि आवंटन होने पर ही लक्ष्यों की पूर्ति की सम्भावना है।

12.प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी
वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय मांग धनराशि लाख रू0 में तालिका - 40

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय	353.68	-	353.68	275.16	-	275.16

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान 2017-18
प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय	

परिचयात्मक/उद्देश्यः-

1. पशुधन विकास कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन एवं अनुश्रवण तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार पशुगणना कराना एवं आंकड़ों का विश्लेषण कर उपयोगी बनाना एवं रख-रखाव करना।

2. राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों की गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के प्रजनन आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा राज्य में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान हेतु रखे गये सांड़ों के अभिलेख का रख-रखाव करना।

3. विभागीय योजनाओं से संम्बन्धित आकड़ों के त्वरित विश्लेषण हेतु कम्प्यूटर सेल की स्थापना।

4. वार्षिक सर्वेक्षण की जनपदवार योजना (भारत सरकार की **50** प्रतिशत आयोजनागत योजना) के अन्तर्गत पशुजन्य पदार्थों यथा-दूध, अण्डा, ऊन एवं माँस उत्पादन के अनुमानों को तैयार कर प्रकाशित कराना तथा पशुधन की प्रबन्ध प्रणालियों का अध्ययन करना।

पद्धतिः-

1. आयोजनेत्तर योजना में जनपदों से प्राप्त विभागीय आधारभूत आकड़े एवं विकास कार्यक्रमों की प्रगति के आकड़ों का जनपदवार/मण्डलवार/राज्य स्तरीय गणना करना तथा पशुगणना के आकड़ो का रख-रखाव किया जाता है ।

2. आयोजनेत्तर योजना में राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों पर विद्यमान गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के जातिवार प्रजनन आंकड़ों को एकत्र कर विभिन्न आर्थिक गुणकों की गणना कर उनका विश्लेषण किया जाता है।

वार्षिक सर्वेक्षण योजना भारत सरकार की **50** प्रतिशत केन्द्र पोषित आयोजनागत योजना है, जिसमें जनपदवार पशु जन्य पदार्थो के उत्पादन (यथा दुग्ध, अण्डा, ऊन एवं मांस) के अनुमानों को अनुमानित करना होता है। इनके त्वरित विश्लेषण हेतु तीसरी योजना का विकास किया गया था, परन्तु प्रोग्रामर की पदस्थापना न होने के कारण त्वरित अनुमान

नहीं निकाले जा सके, बल्कि नियुक्त क्षेत्र स्टाफ से मैनुअली अनुमान निकाले जाते हैं, जिनका क्षेत्र से नियमित अनुश्रवण एवं विश्लेषण करने के कारण काफी समय लग जाता है। इस योजना में प्रत्येक ऋतु में पशुधन संख्या के अनुमानों हेतु **15** प्रतिशत ग्रामों का चयन किया जाता है तथा पशुजन्य पदार्थो के उत्पादन के जनपदवार अनुमानों की गणना तथा पशुओं की प्रबंध प्रणालियों के अध्ययन हेतु **5-10** ग्रामों का रेण्डम विधि से चयन कर क्षेत्रीय कार्य प्रदेश के जनपदों में पदस्थ सांख्यकीय कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है तथा प्रदेश स्तर का आंकड़ो का विश्लेषण कर अनुमान तैयार कर प्रकाशित कराये जाते हैं।

वर्ष 2015-16 में किये जा रहे कार्य:-

1. विभागीय भौतिक लक्ष्य वर्ष 2016-17 का जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय निर्धारण कर शासन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया। आधार-भूत आकड़ो का संकलन किया गया। चार चिन्हित कार्यक्रमों टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा एवं बधियाकरण का अनुश्रवण किया गया।
2. नस्लवार गणना के आकड़ों की कुछ जनपदों से पुष्टि कराकर भारत सरकार को भेजा गया, 20वीं पशुगणना की प्रारम्भिक तैयारी के क्रम में अनुसूचियों और अनुदेश पुस्तिका को तैयार किया गया।
3. वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत जनपदों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न कराना तथा अनुमानों को अन्तिम रुप देकर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराना तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2013-14 का प्रकाशन कराना।
4. राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों के वर्ष 2014-15 का प्रतिवेदन तैयार करना तथा 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सांडो के विवरण को अंकित करना।

वर्ष 2016-17 में किये जाने वाले कार्य:-

1. आधारभूत आकडों का संकलन एवं भौतिक लक्ष्य का जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय निर्धारण कर शासन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। विभागीय प्रगति पुस्तिका वर्ष **2017** का प्रकाशन कराया जाना है। चार चिन्हित कार्यक्रमों टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा एवं बधियाकरण का अनुश्रवण किया जा रहा है।
2. 20वीं पशुगणना **2017** हेतु भारत सरकार से प्राप्त संशोधित अनुसूचियों एवं अनुदेश पुस्तिका को अग्रेजी से क्षेत्रिय भाषा (हिन्दी) में अनुवाद कर तैयार किया जा रहा है। क्षेत्रीय गणना हेतु गणनाकारों एवं सुपरवाइजरों को ग्रामों का आवंटन किया जा रहा है।
3. वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत जनपदों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन अनुमानों को अंतिम रुप देकर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराना तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन **2014-15** का प्रकाशन कराना।
4. राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों के वर्ष **2015-16** का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा तथा **31** मार्च **2016** की स्थिति के अनुसार कार्यरत सांड़ों के विवरण की पुस्तिका तैयार की जायेगी।

वर्ष 2017-18 में किये जाने वाले कार्य:-

1. विभागीय प्रगति पुस्तिका को प्रकाशन तथा आधारभूत आकड़ों का संकलन एवं भौतिक लक्ष्य का जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय निर्धारण कर शासन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। चार चिन्हित कार्यक्रमों टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा एवं बधियाकरण का अनुश्रवण किया जायेगा।

2. 20वीं पशुगणना **2017** हेतु अनुसूचियों एवं अनुदेश पुस्तिका को जनपदों को वितरण करवाना एवं वास्तविक क्षेत्रीय गणना कराकर डाटा इन्ट्री कर सेन्टरों को उपलब्ध कराना।

3. वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत जनपदों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा अनुमानों को अंतिम रुप देकर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराना तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन **2015-16** का प्रकाशन कराना।

4. राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों के वर्ष **2016-17** का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, तथा **31** मार्च **2017** की स्थिति के अनुसार कार्यरत सांड़ों के विवरण की पुस्तिका तैयार की जायेगी।

13.अन्य व्यय

वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग (धनराशि लाख रू0 में) **तालिका - 41**

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान			वास्तविक व्यय		
	2016-17			2016-17		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
अन्य व्यय	687.29	3503.90	4191.19	669.24	3129.64	3798.88

लेखाशीर्षक	आय -व्ययक अनुमान 2017-18
अन्य व्यय	

(अ) गौशाला विकास

पशुपालन विभागान्तर्गत वर्तमान में राज्य सेक्टर में गोसदनों एवं जिला सेक्टर के अन्तर्गत गौशालाओं के विकास एवं गोसेवा आयोग की स्थापना संबंधी योजनाओं के परिपेक्ष्य में निम्नांकित योजनायें चलाई जा रही हैः-

1- योजना का नाम:	<u>उ0प्र0 गोसेवा आयोग द्वारा गोसदन/गोशालाओं के सुदृढीकरण एवं स्थापना की योजना (राज्य योजना)</u>
योजना का उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्थापित गोसदनों एवं गोशालाओं का सुदृढ़ीकरण कर उन पर संरक्षित एवं पकड़ कर लाये गये गोवंशीय पशुओं को संरक्षण प्रदान किया जाना है।गोसदनों में ऐसे पशुओं का संरक्षण करने के साथ ही उन्हें चरने हेतु चरागाह एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सम्पूर्ण प्रदेश में गोवध निषेध संबंधी अधिनियम लागू है। अतः ऐसी स्थिति में अवैध

	परिवहन एवं वध हेतु ले जाते समय पकड़े गये गोवंशीय पशुओं को गौशालाओं/गोसदनों पर रखकर उनके प्राणों की रक्षा की जाती है प्रदेश में गोसदनों की स्थापना कई वर्षो पूर्व होनें के कारण गौसदन भवन इत्यादि अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस प्रकार गौसदनों के सुदृढीकरण उनमें गौवंशीय पशुओं हेतु चरही नांद जल की व्यवस्था इत्यादि आवश्यक मूलभूत जरुरतों के दृष्टिगत धनराशि की आवश्यकता है। वर्ष 2016-17 हेतु रु0 669925.00 हजार का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया जिसके सापेक्ष रु0 51600 हजार का प्राविधान किया गया है।
2. योजना का नाम अ) योजना का उद्देश्य	उ0प्र0 गोसेवा आयोग को सहायता दिया जाना प्रदेश में भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण/सम्बर्धन तथा विकास को सुनिश्चित करने, गो-कल्याण संबंधी अधिनियमों, उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 1999 में उ0प्र0 गोसेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग द्वारा गोशालाओं को स्वावलम्बी बनाने तथा इन्हें सूत्रबद्ध करते हुये इनके कार्यकलापों में विविधीकरण लाते हुये गति प्रदान की जा रही है और इन्हें अर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने में पथ-प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत आयोग के कार्यालय के संचालन एवं कार्यकलापों के सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आयोग को सहायता दी जाती है। उ0प्र0 गोसेवा आयोग के कार्य संचालन के अन्र्तगत मुख्यताः कार्यालय के संचालन आयोग के मा0 अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सम्मानित सदस्यों के यात्रा भत्ता, लेखन सामग्री, फार्मों की छपाई, टेलीफोन बिल एवं अन्य मशीनों एवं संयंत्रों का क्रम के साथ साथ व्यवसायिक और विशेष सुविधाऐं हेतु भुगतान इत्यादि सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष **2016-17** हेतु रु0 **41.50** लाख का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में रु0 **41.00** लाख के बजट का प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष रु0 **20.50** लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
3. योजना का नाम	<u>गौशालाओं का सुधार (जिला योजना)</u>
योजना का उद्देश्य	प्रदेश में स्थापित गौशालाओं का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण कर उन पर संरक्षित एवं पाले जा रहे पशुओं/गोवंश का संरक्षण-संवर्धन करने के साथ ही उन्हें उत्तम आहार-चारा, पेयजल की सुविधा तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना। साथ ही चूंकि सम्पूर्ण प्रदेश में गोवध

	निषेध संबंधी अधिनियम लागू है। अतः ऐसी स्थिति में अवैध परिवहन एवं वध हेतु ले जाते समय पकड़े गये गोवंश/पशुओं को भी गौशालाओं/गोसदनों पर रखकर उनके प्राणों की रक्षा की जाती है और उनके खानपान आदि की व्यवस्था की जाती है।

(ब) चर्म शोधन एवं पशु शव के उपयोग

परिचयात्मक/उद्देश्य:-

मृत पशुओं से वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिये पशुपालन विभाग द्वारा मृत पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पूर्ण उपयो्रग करने की योजना चलाई जा रही है । प्रायः मृत पशुओं की खाल उतारकर शेष पशुशव को यों ही छोड़ दिया जाता है जिससे वातावरण प्रदूषण के साथ ही पशुशव से प्राप्त हो सकने वाले अनेक उपयोगी पदार्थ भी नष्ट हो जाते है तथा पशु शव पर मडराने वाले पक्षियों से वायुयान दुर्घटनाओं की सम्भावना रहती है। मुख्यतः पशु शव से प्राप्त हड्डी से उर्वरक खाद, मांस से पौष्टिक कुक्कुट आहार, पूँछ के बाल से ब्रश, तांत से रैकेट, सींग व खुर से कंघी व बटन, चर्बी से साबुन आदि तथा प्राप्त चमड़े से बहुमूल्य उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं ।

चूँकि किसी उद्योग के लिये कुशल कारीगरी की अहम् भूमिका होती है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पशुपालन विभाग उ0प्र0 द्वारा चर्म से संबंधित प्रशिक्षण देने एवं चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन के उद्देश्य से सन 1960 में आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द, बक्शी का तालाब, लखनऊ की स्थापना की गयी जिसका क्रियान्वयन आयोजनेत्तर योजना के अन्तर्गत होता है। इस केन्द्र पर निम्न प्रकार से प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्य किये जाते हैं:-

1- पशु शव उपयोग प्रशिक्षण
2- चर्म शोधन प्रशिक्षण
3- चर्म पादुका/चर्म सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण

1- पशु शव उपयोग प्रशिक्षण

यह चार मासीय प्रशिक्षण है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को वैज्ञानिक ढंग से मृत पशुओं की खाल निकालने, खालों को सुरक्षित रखने, मीट कम-बोनमील बनाने तथा पशु शव के पूर्ण उपयोग करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें प्रत्येक बैच में 20 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू0 200/-प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती हैं।

2- चर्म शोधन प्रशिक्षण

यह एक वर्षीय प्रशिक्षण है। इसमें खालों को रसायनों द्वारा वैज्ञानिक विधि से पकाकर चमड़ा तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रत्येक बैच में 20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू0 200/-प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती हैं।

3- चर्म पादुका/चर्म सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण,

यह भी एक वर्षीय प्रशिक्षण है। इसमें चमड़े का जूता, चप्पल, बेल्ट, लैदर बैग आदि के साथ-साथ चमड़े की अनेक उपयोगी वस्तुओं के बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रत्येक बैच में 20 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू0 200/-प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती हैं।

उत्पादन कार्य

वर्ग 1- पशु शव उपयोग शाखाः- इस शाखा में मृत पशुओं से निम्नलिखित सामग्री का उत्पादन किया जाता है:-

1-खाल 2-मीट कम बोन मील 3-चर्बी 4-पूँछ के बाल 5-सींग

वर्ग 2- चर्म शोधन शाखाः- इस शाखा द्वारा खालों को रसायनों द्वारा पकाकर निम्न प्रकार के चमड़े तैयार किये जाते हैं:-

1-क्रोम लेदर 2-सोल 3-इनसोल 4-कटिंग स्लीपर

वर्ग 3- चर्म पादुका/चर्म सामग्री निर्माण शाखाः-

इस शाखा द्वारा चमड़े की निम्नलिखित सामग्री का उत्पादन किया जाता हैः-

1-जूता चप्पल 2-लेदर बैग 3-हैन्ड पर्स 4-बेल्ट 5-चमड़े की अन्य उपयोगी वस्तुए

तालिका - 42

प्रशिक्षण एवं उत्पादन की मद	वर्ष 2015-16 का वास्तविक	वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18 का अनुमान	अभ्युक्ति
		अनुमानित	पुनरीक्षित		
वर्ग-1 पशु शव उपयोग शाखा					
1. उपयोग किये गये पशुओं की संख्या	185	200	100	120	मृत जानवरों की आमद व कुकरों की जीर्ण-शीर्ण दशा तथा कोयले की अन्य उपलब्धता (बजट) के कारण कार्य प्रभावी।
2. मीट कम बोन मील (कि०ग्रा०)	234	2000	1000	1500	
3. चर्बी (कि०ग्रा०)	-	70	50	50	
4. मृत जानवरों के पूंछ के बाल (कि०ग्रा०)	0.990	1.00	0.600	1.00	
	40	60	30	50	
1. उपयोग किये गये पशुओं की संख्या	15	40	20	30	
वर्ग-2 चर्म शोधन शाखा					
1.बनस्पति शोधित	42	45	12	40	पशु शव शाखा से प्राप्त अच्छी खालों से आमद फृटवीयर शाखा में संसाधनों का अभाव एवं मशीनों का खराब होना व बजट में रसायनों की अनुपलब्धता अन्तर का कारण स्पष्ट कराता है।
(सोल/इनसोल/अपर) (कि0ग्रा0)	1100	7000	-	6500	
2. क्रोम अपर लेदर (वर्ग डेसी मी0 में)	95	504	75	504	

	-	15	-	15	
वर्ग-3 खालो का शोधन (अदद में)	14	20	08	20	

वर्ग-3 फुटवियर एण्ड लेदर गुड्स					
1. फुटवियर संख्या (जोड़ी) 2. लेदर गुड्स (अदद)	69 128	240 200	125 170	240 200	वर्ष 2015-16 के अनुमानित एवं पुनरीक्षित लक्ष्य के अन्तर का कारण वर्ग में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की ड्यूटी बी0एल0ओ0 में है तथा प्रशिक्षार्थियों की संख्या 20 के स्थान पर 11 रह गयी है जिससे अन्तर आ रहा है।
प्रशिक्षण प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की सं0 ;एक वर्षीय)	10	20	10	20	

विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत विभागीय प्राप्तियां

(धनराशि रु० लाख में)

तालिका - 43

	वास्तविक आंकडे 2015-16	वास्तविक आंकडे 2016-17	आय अनुमान 2017-18
103-मुर्गी पालन के विकास से प्राप्तियाँ			
01-कुक्कुट प्रक्षेत्रों से प्राप्तियाँ	111.69	53.56	121.00
104-भेड एवं उन विकास से प्राप्तियाँ	30.34	6.07	44.00
105-सूकर विकास से प्राप्तियाँ	27.31	33.38	60.00
106-चारा दाना विकास से प्राप्तियाँ	179.57	172.13	198.00
108-अन्य पशुधन विकास प्राप्तियाँ	87.44	62.76	99.00
501-सेवाएँ और सेवा शुल्क	542.98	484.98	990.00
800-अन्य प्राप्तियाँ			
01-निदेशक के अधीन प्राप्तियाँ	176.16	119.16	250.00
02-अधिक भुगतान से वसूलियाँ	40.85	25.87	50.00
03-इमारतों का किराया	5.95	3.99	12.00
04-लोथ उपयोग केन्द्रों से आय	3.47	2.23	4.00
05-निदेशक पशुपालन के लिए नियंत्रण के अधीन दूध और दूध से बनायी अन्य वस्तुओं की बिक्री से आय	107.48	173.65	495.00
06-अभिजनन और गर्भित कराने की फीस और पशुओं की बिक्री से आय	589.93	639.96	1050.00
07-अंशदान ब्याज सहित			
99-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ	1715.80	1880.60	2415.00
900-घटायें वापसियां	-	-	
01-वापसियां	-	-	
योग 0403	**3618.97**	**3658.34**	**5788.00**

विगत तीन वर्षो में स्वीकृत पदों की सूची

लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनेत्तर, राजपत्रित **तालिका - 44**

पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन (6वां पु० वेतनमान)	01.04.2015 को पदों की स्थिति		01.04.2016 को पदों की स्थिति		01.04.2017 को पदों की स्थिति		अद्यतन स्थिति	
			स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
निदेशक (प्रशा० एवं विकास)	37400-67000	10000	01		01		01		01	
निदेशक (रोग नि० एवं प्रक्षेत्र)	37400-67000	10000		01		01		01		01
अपर निदेशक (ग्रेड-1)	37400-67000	8900	-	05	-	05	-	05	-	05
वित्त नियंत्रक	37400-67000	8900	01	-	01	-	01	-	01	-
अपर निदेशक (ग्रेड-2)	37400-67000	8700	03	17	03	17	03	17	03	17
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	37400-67000	8700	01	-	01	-	01	-	01	-
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	15600-39100	7600	01	69	01	69	01	69	01	69
संयुक्त निदेशक	15600-39100	7600	-	65	-	65	-	65	-	65
संयुक्त निदेशक (सांख्यिकीय)	15600-39100	7600	01	-	01	-	01	-	01	-
उप मुख्य पशु चि०अधि०/ उप निदेशक/अधीक्षक	15600-39100	6600	-	467	-	467	-	467	-	467
उपनिदेशक (प्रक्षेत्र)	15600-39100	6600	01	-	01	-	01	-	01	-
प्रधानाचार्य बी०के०टी०, लखनऊ	15600-39100	6600	01	-	01	-	01	-	01	-
उपनिदेशक (सांख्यिकीय)	15600-39100	6600	01	-	01	-	01	-	01	-
पशुचिकित्साधिकारी	15600-39100	5400	1400	172	1400	172	1400	172	1400	172
सहायक निदेशक (प्रचार)	15600-39100	5400	01	-	01	-	01	-	01	-
पशुधन विपणन अधि०/ प्रभारी अधि०ऊन श्रेणी	15600-39100	5400	02	-	02	-	02	-	02	-
प्रोग्रामर (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग)	15600-39100	5400	-	01	-	01	-	01	-	01

सांख्यिकीय अधिकारी	15600-39100	5400	04	02	04	02	04	02	04	02
वित्त एवं लेखा अधिकारी	15600-39100	5400	03	-	03	-	03	-	03	-
प्रक्षेत्र प्रबंधक(कृषि संवर्ग)	15600-39100	5400	06	-	06	-	06	-	06	-
कृषि अधिकारी	15600-39100	5400	-	01	-	01	-	01	-	01
चारा विकास अधिकारी	15600-39100	5400	02	-	02	-	02	-	02	-
सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र)	15600-39100	5400	01	-	01	-	01	-	01	-
सहायक लेखाधिकारी	9300-34800	4800	16	02	16	02	16	02	16	02
अपर सांख्यिकी अधि०	9300-34800	4600	54	-	54	-	54	-	54	-
ऊन विपणन अधिकारी	9300-34800	4200	-	01	-	01	-	01	-	01
ऊन श्रेणीकरण पर्यवेक्षक	9300-34800	4200	01	-	01	-	01	-	01	-
क्षेत्र प्रबंधक (कुक्कुट)/ सहायक कुक्कुट विकास अधि०/ लेक्चरर त्रैमासिक प्रशिक्षण/ सहायक परि० अधि० कुक्कुट	9300-34800	4200	08	-	08	-	08	-	08	-
लाइवस्टाक इन्टेलीजेन्टस इंस्पेक्टर	9300-34800	4200	01	-	01	-	01	-	01	-
चर्म विकास अधिकारी	9300-34800	4200	01	-	01	-	01	-	01	-
वैयक्तिक सहायक	9300-34800	4200	01	-	01	-	01	-	01	-
वरिष्ठ प्रशासनिक अधि० (अराजपत्रित)	9300-34800	4800	01	-	01	-	01	-	01	-
योग			**1513**	**802**	**1513**	**802**	**1513**	**802**	**1513**	**802**

लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनागत, राजपत्रित

तालिका - 45

पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन (6वां पु० वेतनमान)	01.04.2015 को पदों की स्थिति		01.04.2016 को पदों की स्थिति		01.04.2017 को पदों की स्थिति		अद्यतन स्थिति	
			स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
संयुक्त निदे० रजिस्ट्रार वेटनरी काउन्सिल	15600-39100	7600	-	01	-	01	-	01	-	01
संयुक्त निदे० वेटनरी काउन्सिल	15600-39100	7600	-	01	-	01	-	01	-	01
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	15600-39100	7600	-	03	-	03	-	03	-	03
उपनिदेशक (सांख्यिकीय)	15600-39100	6600	-	01	-	01	-	01	-	01
पशुचिकित्सा अधिकारी	15600-39100	5400	-	399	-	399	-	399	-	399
अपर साख्यिकीय अधि0	9300-34800	4600	-	27	-	27	-	27	-	27
क्षेत्रीय अधिकारी	9300-34800	4600	-	11	-	11	-	11	-	11
वैयक्तिक सहायक	9300-34800	4200	-	01	-	01	-	01	-	01
योग			-	444	-	444	-	444	-	444
कुल योग (आयोजनेत्तर + आयोजनागत)	15600-39100	7600	**1513**	**1246**	**1513**	**1246**	**1513**	**1246**	**1513**	**1246**

लेखाशीर्षक-2403- पशुपालन- आयोजनेत्तर अराजपत्रित

तालिका - 46

पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन (6वां पु० वेतनमान)	01.04.2015 को पदों की स्थिति		01.04.2016 को पदों की स्थिति		01.04.2017 को पदों की स्थिति		अद्यतन स्थिति		अभ्युक्ति
			स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
पशुधन प्रसार अधिकारी	5200-20200	2800	2300	833	2300	833	2300	833	2300	833	
सहायक सांख्यकी अधिकारी	9300-34800	4200	80	41	80	41	80	41	80	41	49 पद मा०उच्च न्याया० के विचाराधीन है।
कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	01 पद अधिसंख्य
डाटा इन्ट्री मशीन आपरेटर	5200-20200	2800	5	-	5	-	5	-	5	-	02 पद अधिसंख्य
पुस्तकालयाध्यक्ष	5200-20200	2800	2	-	2	-	2	-	2	-	01 पद अधिसंख्य
केयर टेकर(अवर अभियन्ता)	5200-20200	2800	4	-	4	-	4	-	4	-	
ड्राफ्टमैन (मानचित्रकार)	5200-20200	2800	1	-	1	-	1	-	1	-	
एयर कंडिशनर आपरेटर	5200-20200	2800	1	-	1	-	1	-	1	-	
एल०एन० प्लांट मैकेनिक आपरेटर	5200-20200	2800	1	22	1	22	1	22	1	22	

रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	5200-20200	2800	9	-	9	-	9	-	9	-	
प्रचार निरीक्षक	5200-20200	2400	1	-	1	-	1	-	1	-	
प्रचार पर्यवेक्षक	5200-20200	2000	4	-	4	-	4	-	4	-	
कलाकार/मानचित्रकार	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	
सहायक प्रचार अधिकारी	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	
इलेक्ट्रीशियन/विद्युत यांत्रिक	5200-20200	2400	12	-	12	-	12	-	12	-	
प्रयोगशाला सहायक	5200-20200	2800	97	5	97	5	97	5	97	5	
कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	304	36	304	36	304	36	304	36	सीधी भर्ती का पद
पेड अप्रेन्टिस	-	-	-	6	-	6	-	6	-	6	(अधिसंख्य 66)
सह् उर्दू अनुवादक	5200-20200	1900	-	30	-	30	-	30	-	30	रु0 350/. नियत
वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	184	26	184	26	184	26	184	26	सीधी भर्ती का पद
प्रधान सहायक	9300-34800	4200	58	6	58	6	58	6	58	6	प्रोन्नति का पद
प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4600	18	-	18	-	18	-	18	-	प्रोन्नति का पद
सहायक लेखाधिकारी, बक्शी का तालाब, लखनऊ	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	पदोन्नति का पद
लेखाकार	9300-34800	4200	3	-	3	-	3	-	3	-	सीधी भर्ती का पद
सहायक लेखाकार	5200-20200	2400	103	34	103	34	103	34	103	34	सीधी भर्ती का पद

कनिष्ठ सम्परीक्षक	5200-20200	2400	3	-	3	-	3	-	3	-	
वरिष्ठ सम्परीक्षक	9300-34800	4200	12	-	12	-	12	-	12	-	सीधी भर्ती का पद
आशुलिपिक	5200-20200	2800	14	-	14	-	14	-	14	-	लोक सेवा आयोग के
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9300-34800	4200	9	-	9	-	9	-	9	-	प्रोन्नति का पद
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	9300-34800	4600	4	-	4	-	4	-	4	-	सीधी भर्ती का पद
वाहन चालक	5200-20200	1900	160	32	160	32	160	32	160	32	प्रोन्नति का पद
सहायक कृषि अधिकारी	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	प्रोन्नति का पद
प्राविधिक सहायक (कृषि)	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	
ज्येष्ठ चारा निरीक्षक	9300-34800	4200	8	-	8	-	8	-	8	-	
सहायक दुग्धशाला प्रबंधक	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	
वरिष्ठ कृषि निरीक्षक	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	
क्षेत्र अधीक्षक	9300-34800	4200	3	-	3	-	3	-	3	-	
प्राविधिक सहायक (कृषि)	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	
कृषि निरीक्षक	5200-20200	2800	3	-	3	-	3	-	3	-	
सहायक क्षेत्र प्रबंधक	5200-20200	2800	1	-	1	-	1	-	1	-	
प्रक्षेत्र सहायक	5200-20200	2800	6	-	6	-	6	-	6	-	
स्नातक सहायक	5200-20200	2800	1	-	1	-	1	-	1	-	

पशुशाला पर्यवेक्षक	5200-20200	2800	1	-	1	-	1	-	1	-	
डेरी प्रभारी	5200-20200	2800	3	-	3	-	3	-	3	-	
डेरी एवं पशु प्रभारी	5200-20200	2800	1	-	1	-	1	-	1	-	
सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	5200-20200	2800	1	-	1	-	1	-	1	-	
सहायक प्रचार अधिकारी	5200-20200	2800	1	-	1	-	1	-	1	-	
संवर्धन(कल्टीवेशन) प्रभारी	5200-20200	2800	1	-	1	-	1	-	1	-	
चारा निरीक्षक	5200-20200	2800	10	-	10	-	10	-	10	-	
संवर्धन(कल्टीवेशन) ओवरशियर	5200-20200	2400	8	-	8	-	8	-	8	-	
संवर्धन(कल्टीवेशन) पर्यवेक्षक	5200-20200	2400	9	-	9	-	9	-	9	-	
सहायक कृषि निरीक्षक	5200-20200	2400	4	-	4	-	4	-	4	-	
सहायक संवर्धन (कल्टीवेशन) प्रभारी	5200-20200	2400	2	-	2	-	2	-	2	-	
सहायक प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक	5200-20200	2400	1	-	1	-	1	-	1	-	
डेरी सहायक	5200-20200	2400	4	-	4	-	4	-	4	-	
पशु प्रभारी	5200-20200	2400	1	-	1	-	1	-	1	-	
सहायक डेरी प्रभारी	5200-20200	2400	1	-	1	-	1	-	1	-	
डेरी पर्यवेक्षक	5200-20200	2400	1	-	1	-	1	-	1	-	
चारा निरीक्षक	5200-20200	2400	2	-	2	-	2	-	2	-	
विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक	5200-20200	2800	7	-	7	-	7	-	7	-	

पशुधन विपणन निरीक्षक	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	03 पद अधिसंख्य
ऊन विपणन निरीक्षक	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	
बिन निरीक्षक	9300-34800	4200	2	-	2	-	2	-	2	-	प्रोन्नति का पद
भण्डार कम बिन निरीक्षक	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	प्रोन्नति का पद
भण्डार पर्यवेक्षक	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	प्रोन्नति का पद
चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	9300-34800	4200	-	49	-	49	-	49	-	49	प्रोन्नति का पद
वेटनरी फार्मासिस्ट	5200-20200	2800	1078	910	1078	910	1078	910	1078	910	प्रोन्नति का पद
फोरमैन मैकेनिक	9300-34800	4200	2	-	2	-	2	-	2	-	प्रोन्नति का पद
ट्रैक्टर मैकेनिक	5200-20200	2800	9	-	9	-	9	-	9	-	
ट्रैक्टर आपरेटर	5200-20200	1900	51	-	51	-	51	-	51	-	
फार्म मैकेनिक	5200-20200	1800	2	-	2	-	2	-	2	-	
पशुशाला मिस्त्री	5200-20200	1800	1	-	1	-	1	-	1	-	
चिक सेक्सर	5200-20200	2400	1	-	1	-	1	-	1	-	
ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	9300-34800	4200	12	-	12	-	12	-	12	-	
अवर अभियन्ता	9300-34800	4200	1	-	1	-	1	-	1	-	
मैकेनिक	5200-20200	2400	1	-	1	-	1	-	1	-	
ट्रैक्टर आपरेटर	5200-20200	2400	1	-	1	-	1	-	1	-	

डिजायनर कम क्लीनर/ वाटनर कम फिनीशर/ प्राविधिक सहायक कम	5200-20200	2800	9	-	9	-	9	-	9	-	
मैकेनिक कम प्लांट आपरेटर	5200-20200	1900	1	-	1	-	1	-	1	-	
व्वायलर ड्राईवर कम मैकेनिक	5200-20200	1900	1	-	1	-	1	-	1	-	
गट मास्टर/मास्टर फ्लेयर	5200-20200	1800	2	-	2	-	2	-	2	-	
अर्धकुशल श्रमिक, कामदार, शववाहक	5200-20200	1800	10	-	10	-	10	-	10	-	
मशीन क्लीनर/ट्रैक्टर क्लीनर/माली	5200-20200	1800	4	-	4	-	4	-	4	-	
चर्म निरीक्षक	5200-20200	2800	6	-	6	-	6	-	6	-	
ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	9300-34800	4200	1	1	1	1	1	1	1	1	
प्राविधिक सहायक एवं मशीन परिचालक	5200-20200	2800	5	-	5	-	5	-	5	-	
गोसदन मैनेजर	5200-20200	2800	4	-	4	-	4	-	4	-	
ड्रेसर	5200-20200	1800	149	146	149	146	149	146	149	146	
चपरासी/अर्दली/परिचर/ चैकीदार/दफ्तरी/ स्वीपर	5200-20200	1800	4981	1729	4981	1729	4981	1729	4981	1729	
योग			**9816**	**3906**	**9816**	**3906**	**9816**	**3906**	**9816**	**3906**	
योग राजपत्रित			**1513**	**1246**	**1513**	**1246**	**1513**	**1246**	**1513**	**1246**	
योग अराजपत्रित			**9816**	**3906**	**9816**	**3906**	**9816**	**3906**	**9816**	**3906**	74 पद अधिसंख्य

नोटः. अधिसंख्य पद अस्थाई पदों के कुलयोग में सम्मिलित कर दर्शाया गया है।

लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनागत अराजपत्रित

तालिका - 47

पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन (6वां पु० वेतनमान)	01.04.2015 को पदों की स्थिति		01.04.2016 को पदों की स्थिति		01.04.2017 को पदों की स्थिति		अद्यतन स्थिति		अभ्युक्ति
			स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
संख्या सहायक	9300-34800	4200	-	7	-	7	-	7	-	7	-
क्षेत्रीय निरीक्षक	9300-34800	4200	-	6	-	6	-	6	-	6	-
अन्वेषक कम संगणक	9300-34800	4200	-	45	-	45	-	45	-	45	-
आशुलिपिक	9300-34800	4200	-	3	-	3	-	3	-	3	-
अन्वेषक कम संगणक	(नीयत वेतन रु० 10000)		-	45	-	45	-	45	-	45	-
लेखाकार	9300-34800	4200	-	1	-	1	-	1	-	1	-
कनिष्ठ सहायक	5200-20200	1900	-	1	-	1	-	1	-	1	-
चालक	5200-20200	1900	-	1	-	1	-	1	-	1	-
अर्दली	5200-20200	1800	-	1	-	1	-	1	-	1	-
चतुर्थ श्रेणी	5200-20200	1800	-	2	-	2	-	2	-	2	-
योग				112		112		112		112	

नोट: 45 पदों के सापेक्ष 29 पदों की निरन्तरता की स्वीकृति। शासन द्वारा नियुक्तियां निरस्त। मा0 न्यायालय के आदेश से कार्यरत।

वेतनमान के अनुसार पदों का विवरण (प्रारूप-2)

क्र०सं०	वेतन बैण्ड / वेतनमान का नाम	सदृश्य वेतन बैण्ड / वेतनमान (रु०)	सदृश्य ग्रेड वेतन (रु०)	पदों की संख्या
1	**वेतन बैण्ड -4**	37400-670000	10000	3
2	**वेतन बैण्ड-4**	37400-670000	8900	5
3	**वेतन बैण्ड-4**	37400-670000	8700	21
4	**वेतन बैण्ड-3**	15600-39100	7600	143
5	**वेतन बैण्ड-3**	15600-39100	6600	471
6	**वेतन बैण्ड-3**	15600-39100	5400	2004
7	**वेतन बैण्ड-2**	9300-34800	4800	19
8	**वेतन बैण्ड-2**	9300-34800	4600	93
	योग	-	-	**2759**

वेतनमान के अनुसार पदों का विवरण - आयोजनागत, आयोजनेत्तर अराजपत्रित

तालिका -

क्र०स०	वेतन बैंड / वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड / वेतनमान	सादृश्यग्रेड वेतन रु०	पद संख्या
1	2	3	4	5
1	पी०बी०-2	9300-34800	4600	71
2	पी०बी०-2	9300-34800	4200	387
3	पी०बी०-1	5200-20200	2800	5597
4	पी०बी०	5200-20200	2400	46
5	पी०बी०	5200-20200	2000	390
6	पी०बी०	5200-20200	1900	297
7	पी०बी०	5200-20200	1800	7162
8	पेड़ अप्रेन्टिस (नियत वेतन रु०350/-)			06
9	अन्वेषक कम संगणक (नीयत वेतन रु० 10000/-)			25